ध्येय IAS®

most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

फरवरी 2019   अंक 4

विषय सूची

फरवरी 2019
अंक–4

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–17

- बालिकाओं और महिलाओं का विज्ञान में निवेश
- अवैध जमा योजनाओं के खतरे
- भारत में सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता
- अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्त्व
- डाटा उपनिवेशवाद और उसकी चुनौतियाँ
- सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 : एक अवलोकन
- भारत में अग्नि सुरक्षा मानक एवं चुनौतियाँ

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18–23

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 24–29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30–38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण सागर 40–42

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 43

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. बालिकाओं और महिलाओं का विज्ञान में निवेश

चर्चा का कारण

हाल ही में 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वूमन एंड गर्ल्स इन साइंस दिवस मनाया गया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि टिकाऊ विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में बालिकाओं एवं महिलाओं को और भागीदारी करने की जरूरत है। विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों और करियर विकल्पों में महिलाओं और लड़कियों की संख्या बढ़ाना बेहद अहम है क्योंकि इससे टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सकती है। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय 'समावेशी हरित विकास के लिए लड़कियों और महिलाओं में निवेश' है।

परिचय

तेजी से बदलती दुनिया में विज्ञान की भूमिका को कम करके नहीं आँका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक भविष्य में 90 फीसदी नौकरियाँ ऐसी होंगी जिसमें किसी न किसी रूप में सूचना और संचार तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक होगा। साथ ही विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) विषयों से जुड़े क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर पैदा हो रहे हैं। हाल के कुछ अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि पाँच करोड़ से ज्यादा नए रोजगार के अवसर डाटा विश्लेषण, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डाटा विजुअलाइजेशन (Visualization) से संबंधित हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) या कृत्रिम बुद्धिमता की अहमियत दिनोंदिन बढ़ रही है और इससे जुड़ी तकनीकों को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखने के लिए एआई पर काम करने वाले लोगों में विविधता होना जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' की स्थापना वर्ष 2015 में की गयी थी जिसका मकसद लड़कियों एवं महिलाओं की विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित (Science, Technology, Engineering and Maths STEM) के क्षेत्र में भूमिका का विश्लेषण करना था। इस प्रकार इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को समाज के सामने लाने के साथ-साथ महिलाओं का स्टेम क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

स्टेम के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा चाहे वह आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में हो या नवाचार के क्षेत्र में। स्टेम क्षेत्र में नवाचार के सभी क्षेत्र समाहित हैं, जिससे एक आधारशिला का निर्माण होता है जो हमारे समाज की प्रगति की कुंजी है। इसके अलावा स्टेम क्षेत्र में जबरदस्त क्षमता है चाहे यह वित्तीय पुनरुद्धार के संदर्भ में हो या चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने या फिर समाज में बदलाव लाने का हो आदि साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी यह अपनी महती भूमिका निभा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में स्टार्ट-अप जैसे कार्यक्रमों ने बाजार पर अपनी पकड़ बनायी है जिसमें अधिकांश स्टार्ट-अप का आधार स्टेम क्षेत्र से संबंधित हैं।

स्पष्ट है कि स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से समाज को एक नया आकार मिलेगा, अधिक विविधतापूर्ण प्रतिभाशाली लोगों के सूमह का विकास होगा तथा समाज के सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

कुछ महत्वपूर्ण महिला वैज्ञानिक

भारतीय परिदृश्य

- **जानकी अम्माल:** 4 नवंबर, 1897 को केरल में जन्मी जानकी अम्माल वनस्पति शास्त्र की वैज्ञानिक थीं। इन्होंने कोशिका विज्ञान (साइटोजेनिक) और फोटोजियोग्राफी पर काफी शोध किया। इन्होंने गन्ने और बैंगन की गुणवत्ता और उत्पादन में बढ़ोत्तरी पर महत्वपूर्ण काम किया। ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक भी रहीं।
- **आनन्दीबाई जोशी:** आनन्दीबाई जोशी भारत की पहली महिला थीं जिन्होंने विदेश में डॉक्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया।
- **असीमा चटर्जी:** असीमा चटर्जी एक रसायन वैज्ञानिक थीं। इन्होंने कार्बनिक रसायन और फाइटोमेडिसिन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। इन्होंने ये कैंसर चिकित्सा, मिर्गी और मलेरिया रोधी दवाओं के विकास में काफी योगदान दिया। ये पहली भारतीय महिला थीं, जिन्हें किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली।
- **डॉ. इंदिरा हिंदूजा:** 1986 में भारत के पहले टेस्ट-ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने जीआईएफटी तकनीक का आविष्कार किया जिसके बदौलत वर्ष 1988 में भारत का पहला जीआईएफटी बच्चा पैदा हुआ।
- **डॉ. अदिति पंत:** भारत की जानी-मानी समुद्र विज्ञानी हैं। इन्होंने तीसरे अंटार्कटिका अभियान में भाग लेकर 1983 में अंटार्कटिका पहुँची। इनके इस मिशन में दक्षिणी गंगोत्री मिशन की स्थापना हुई जो भारत का अंटार्कटिका में पहला स्टेशन है।
- **किरन मजूमदार शॉ:** जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनका अहम योगदान है। इन्होंने मधुमेह, कैंसर और आत्म प्रतिरोधी जैसी बिमारियों पर शोध किया। इन्होंने एंजाइमों की निर्माण के लिए पूरी तरह से एकीकृत जैविक दवा कंपनी बनाई। वर्ष 2014 में इन्हें फ्यूचर मैगजीन ने एशिया-पैसिफिक में सबसे प्रभावशाली महिला करार दिया।

भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने न केवल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता हासिल की है बल्कि गणित, अंतरिक्ष और खगोलशास्त्र में भी शानदार उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

- **टेसी थॉमस:** अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली भारत की मिसाइल महिला और अग्निपुत्री नाम से मशहूर 'टेसी थॉमस' ने भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत करने में लगातार काम किया। इनका भारत की लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
- **कल्पना चावला:** भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थीं। इन्होंने लगभग 376 घण्टे 34 मिनट अंतरिक्ष में बिताया था। इन्होंने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण प्रयोगों को अंजाम देते हुए धरती के 252 चक्कर लगाए।
- **सुनीता विलियम्स:** भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जो अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला बनीं। उन्होंने महिला वैज्ञानिक के तौर पर अंतरिक्ष में 195 दिन रहने का कीर्तिमान स्थापित किया था।

वैश्विक परिदृश्य

पोलैण्ड की मैडम मैरी क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थीं, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने पहली मोबाइल एक्स-रे मशीन का आविष्कार किया, जिससे युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों की जाँच हो सके। रेडियम की खोज उनका महान आविष्कार है। इन्होंने रेडियो गतिविधि को देखने के लिए अलग-अलग तत्त्वों का प्रयोग किया और थोरियम का पता लगाया। इन्हें परमाणु बम की माँ भी कहा जाता है।

- **अदा योनाथ:** इन्होंने राइबोसोम्स पर काम किया और वर्ष 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मध्य-पूर्व और इजराइल से पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं।
- आणिवक जीव वैज्ञानिक के तौर पर अनिता रॉबर्ट्स का नाम काफी मशहूर है। इन्होंने प्रोटीन टीजीएस बीटा का आविष्कार कर कैंसर, घाव और फ्रैक्चर के इलाज को संभव बनाने में बड़ी मदद की।
- अमेरिकी रसायनशास्त्री बार्बरा आस्किंस ने अंडर एक्सपोज फोटो निगेटिव को उन्नत करने का तरीका खोजा।
- अमेरिकी वैज्ञानिक बार्बरा मैकक्लीनटॉक को 1983 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया।
- 'शिन-शुंग वू' को चीनी मैडम क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक चीनी अमेरिकन भौतिक विज्ञानी थीं, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स के तहत यूरेनियम-235 और यूरेनियम-238 को विकसित करने में अहम रोल निभाया।
- जरट्रुड बी इलिऑन अमेरिका की जानी-मानी बायोकेमिस्ट और फॉर्माकोलोजिस्ट थी, जिन्होंने एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के लिए दवा ढूँढी। इस योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया।

वर्तमान में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

वैश्विक स्थिति

उपरोक्त उपलब्धियाँ अपने आप में सराहनीय हैं लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है जो सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। वर्तमान समय में महिलाओं की STEM क्षेत्र में दयनीय स्थिति है-

- यद्यपि पुरुषों की तुलना में विश्व में महिला स्नातकों की संख्या भी ज्यादा है लेकिन स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की पहुँच बहुत कम है।
- अमेरिका में महिलाएँ गणित में लगभग 40 प्रतिशत डिग्री प्राप्त करती हैं लेकिन कम्प्यूटर विज्ञान या इंजीनियरिंग में केवल 18 प्रतिशत ही डिग्री अर्जित करती हैं।
- यूरोप में 2013 तक केवल 4 ही ऐसे देश थे जो ये दावा कर सकते थे कि उनके यहाँ स्टेम क्षेत्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 15% है।
- चिली में वर्ष 2014 तक स्टेम क्षेत्र स्नातक करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 20% थी।
- वर्तमान में परिस्थितियाँ यह हैं कि जब महिलाएँ स्टेम क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करती हैं लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में काम मिलने की संभावना कम होती है।
- यूनेस्को के अनुसार विज्ञान अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति दक्षिण और पश्चिम एशिया में 19 प्रतिशत की निम्न दर और मध्य-एशिया में 48 प्रतिशत की उच्च दर पायी गई है। जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह दर 32% है।
- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2016-17 में महिला स्नातको की संख्या में 10 प्रतिशत से कम कम्प्यूटर, 21 प्रतिशत भौतिकी और लगभग 39 प्रतिशत गणित में परीक्षाएँ महिलाओं द्वारा दी गयीं।
- ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) के 34 सदस्य देशों में 58 प्रतिशत महिलाएँ स्नातक स्तर पर-अध्ययनरत थीं लेकिन विज्ञान, गणित और कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक महिलाओं की संख्या 20 प्रतिशत के आस-पास है।
- यूनेस्को द्वारा कराये गए अध्ययन (2014-16) से पता चलता है कि विज्ञान से जुड़ी शिक्षा में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में बेहद कम हैं।
- दुनिया भर में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े विषयों में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 30% से कम है।
- सूचना और संचार तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन सिर्फ 3 फीसदी है।
- प्राकृतिक विज्ञान, गणित और सांख्यिकी में महिलाओं का नामांकन 5% ही है।
- इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण में महिलाओं का नामांकन सिर्फ 8 फीसदी है।
- विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़ी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 22% है।
- पेटेंट धारकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 16% है।

भारत की स्थिति

- देश भर में रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में लगभग 2.8 लाख वैज्ञानिक और इंजीनियर काम कर रहे हैं लेकिन इसमें महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 14 फीसदी तक ही सीमित है।
- भारत में अब तक विज्ञान के क्षेत्र में केवल 16 महिलाओं को ही शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है।
- भारत में हर 10 वैज्ञानिक शोधकर्त्ताओं में महिलाओं की संख्या दो से भी कम है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में महिलाओं की संख्या महज 10% ही है।

स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण

- लैंगिक असमानताएँ और प्रोत्साहन देने वाले वातावरण का अभाव।
- आमतौर पर ये माना जाता है कि महिलाएँ

गणित पसंद नहीं करती। उनकी विज्ञान में कम दिलचस्पी होती है। ये ख्याल रखने वाले सिर्फ पुरुष हो ऐसा नहीं है। बहुत-सी महिलाएँ भी यही सोच रखती हैं। यही वजह है कि महिलाएँ स्टेम एजुकेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई में पिछड़ी नजर आती हैं। समाज में व्यापक रूप से फैली सोच के नतीजे में ही हमें साइंस और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखती।

- गणित और भौतिकी में रिसर्च कर रही महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले पैसे कम मिलते हैं।
- साइंस में काम कर रही महिलाओं को रिसर्च के साथ अपनी जिंदगी की चुनौतियों का तालमेल बैठाने में भी मुश्किल आती है।
- भौतिकी और गणित के रिसर्च में कई साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है ऐसे में कई बार महिलाएँ बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी के चलते पिछड़ जाती हैं।
- फिर, जहाँ पुरुषों का बोलबाला हो, वहाँ काम करने में महिलाएँ अलग-थलग महसूस करती हैं। उनका अपने साथियों से उस तरह का जुड़ाव नहीं हो पाता, जैसा किसी महिला सहकर्मी के साथ हो सकता है। वो लैब की संस्कृति से खुद को कटा हुआ महसूस करती हैं।

महिलाओं की स्टेम में भागीदारी के लिए प्रयास

भारत में प्रयास

महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकर द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने महिला वैज्ञानिक योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य विज्ञान की मुख्यधारा से जुड़ने और वैज्ञानिक के रूप में काम करने की इच्छुक 30 से 50 वर्ष के उम्र वर्ग की महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए अवसर उपलब्ध कराना है।
- यह योजना उन महिला वैज्ञानिकों को अपनी अधूरी रिसर्च को फिर से शुरू करने का अवसर प्रदान करती है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने करियर में पिछड़ जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

वैश्विक प्रयास

- पिछले एक दशक में इस दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं, लड़कियों और महिलाओं की स्कूल तक पहुँच को सुलभ बनाया जा रहा है।
- महिलाओं के लिए काम करने वाली यूएन की महिला संस्था (UN Women) और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने साझा बयान जारी कर बताया है कि किन कदमों के तहत विज्ञान में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं।
- इनमें विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएँ, स्टेम और जेंडर एडवांसमेन्ट प्रोजेक्ट जैसी पहल शामिल हैं।
- अब जब स्टेम एजुकेशन में महिलाओं की कुल भागीदारी ही 15 फीसदी हो, तो वो अपने लिए संसाधनों, मौकों और अवॉर्ड के लिए क्या वकालत कर पाएंगी? नतीजा ये होता है कि इन विषयों में महिलाएँ अल्पसंख्यक हो जाती हैं। हाशिये पर होने की वजह से उन पर काम का दबाव होता है।
- महिलाओं की इन चुनौतियों से निपटने में मदद के लिए यूनिवर्सिटी और सरकारी संस्थाएँ काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा पश्चिमी देशों में ही हो रहा है। भारत में इस तरह के प्रयास नगण्य हैं।
- शिक्षा एवं शोध क्षेत्र में बजट की कमी तथा तकनीकी रूप से पिछड़ा होना।
- पुरुषवादी सोच के चलते अकसर काबिल महिलाओं को वजीफे देने से लेकर रिसर्च के लिए आगे बढ़ाने तक में अनदेखा किया जाता है।

आगे की राह

- विज्ञान में पुरुषों का बोलबाला कोई नई बात नहीं, लेकिन स्टेम एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर अगली आधी सदी में हम ये तस्वीर बदल सकते हैं।
- लोगों को चुनने और आगे बढ़ाने में पारदर्शिता हो। महिला रिसर्चर को मेंटरिंग और सहयोग मिले उनके रिसर्च के लिए अगर वक्त की पाबंदी हटानी पड़े तो वो भी हटाई जाए।
- यूनिवर्सिटी और लैब के आस-पास बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाने की वजह से महिलाएँ अब बच्चों की फिक्र छोड़कर रिसर्च पर ध्यान दे पा रही हैं। भारत में भी इस तरह के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- लैंगिक समानता को साकार करना अकेले महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है पुरुषों को भी इसके लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर भविष्य के लिए केन्द्र सरकार को महिलाओं के लिए विज्ञान में उचित और आकर्षक अवसर उपलब्ध कराना होगा।
- देश के कुछ अच्छे साइंस जर्नल और विज्ञान के क्षेत्र में आई स्टडी रिपोर्ट्स का अनुवाद कराया जाना चाहिए और इन्हें ना सिर्फ हायर एजुकेशन बल्कि स्कूली शिक्षा से जुड़े संस्थानों में भी भेजना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे लड़कियों एवं महिलाओं में साइंस के प्रति रुचि को बढ़ाया जा सकेगा।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किए गए नवोन्मेष किसी भी राष्ट्र के दीर्घकालिक विकास और गतिशीलता का अभिन्न अंग होते हैं। विज्ञान, गणित, इंजीनीयरिंग और तकनीकी के अनुसरण से जिज्ञासा और संवाद की ऐसी भावना पैदा होगी जो आधुनिक, खुले और लोकतांत्रिक समाजों के लिए बहुत महत्व रखती है।
- अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाला व्यय दो गुना करने की जरूरत है और अधिकांश वृद्धि निजी क्षेत्र और विश्वविद्यालयों से आनी चाहिए।
- डार्क मैटर, जिनोमिक्स, ऊर्जा भण्डार, गणित तथा साइबर भौतिकी तंत्र जैसे क्षेत्रों में मिशन प्रेरित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

2. अवैध जमा योजनाओं के खतरे

चर्चा का कारण

हाल ही में फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कारगर कार्रवाई के उद्देश्य से 'अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018' (Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018) को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले सदन में विधेयक को रखते हुए कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि जुलाई 2014 से मई 2018 के बीच चिटफंड जैसी योजनाओं में ठगी के 978 मामलों पर विचार हुआ, जिसमें से अकेले 326 मामले पश्चिम बंगाल के थे।

परिचय

चिटफंड या पोंजी स्कीम पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में रहे हैं, इसका कारण यह है कि चिटफंड के माध्यम से अनेक लोगों के साथ धोखा किया गया और चिटफंड आयोजकों द्वारा बिना निवेशकों का पैसा लौटाए कंपनियाँ बंद कर दी गईं।

चिटफंड या पोंजी स्कीम दक्षिण भारत में व्यापक पैमाने पर प्रचलित है। दक्षिण भारत के राज्यों में बड़ी संख्या में लोग ऐसी योजनाओं में अपना बचत निवेश करते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की घरेलू अर्थव्यवस्था में चिटफंड का बड़ा योगदान रहा है। इन राज्यों में वहां की घरेलू बचत का बड़ा हिस्सा इन योजनाओं में लगा हुआ है। चिटफंड बचत का एक तरीका है, जो लोगों को आसान कर्ज उपलब्ध कराने के साथ ही उनके निवेश पर ज्यादा रिटर्न देता है। बैंक से कर्ज लेने के लिए आमतौर पर कई छोटी-मोटी लेकिन जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, लेकिन चिटफंड में इसकी कोई बाध्यता नहीं होती। निवेश के अन्य विकल्पों के मुकाबले चिटफंड में ज्यादा रिटर्न मिलता है और कई बार यही लालच लोगों के नुकसान का कारण भी बनता है।

देश भर में 350 कंपनियाँ गैर कानूनी तरीके से कलेक्टिव स्कीम्स (Collective Schemes) चला रही हैं। इन 350 कंपनियों में से अकेले कोलकाता, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम में 140 कंपनियाँ मौजूद हैं। प्रयाग ग्रुप और पैलियन ग्रुप पर गैर कानूनी स्कीम चलाने का आरोप है। दोनों कंपनियों के खिलाफ 900 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। इन कंपनियों ने 100 रुपये प्रति दिन के निवेश पर 100 फीसदी रिटर्न का दावा किया था।

चिटफंड क्या है?

चिटफंड को एक वित्तीय साधन के रूप में देखा जाता है। जहाँ तक इसकी परिभाषा की बात है तो यह अलग-अलग लोगों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोग इसे पैसा डिपोजिट करने के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग इसे बचत एवं निवेश स्कीम के तौर पर देखते हैं, वहीं कुछ लोग इसे लोन या क्रेडिट स्कीम के तौर पर भी देखते हैं। चिटफंड को दूसरे शब्दों में एक वित्तीय समझौता कहा जाता है। चिटफंड एक्ट-1982 के मुताबिक चिटफंड स्कीम का मतलब होता है कि कोई शख्स या लोगों का समूह एक साथ समझौता करे। इस योजना के अंतर्गत लोगों की एक निश्चित संख्या को निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किश्तों में करना होता है।

चिटफंड के प्रकार

भारत में चिटफंड को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है-

1. **राज्य द्वारा संचालित चिटफंड:** इस तरह के फंड राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं और इस प्रकार के फंड पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नाम से अनेक संस्थाएँ क्रियान्वित हैं।
2. **प्राइवेट रजिस्टर चिटफंड:** भारत में बहुत-सी प्राइवेट तौर पर रजिस्टर चिटफंड कंपनियाँ हैं। ये सभी चिटफंड अधिनियम, 1982 के तहत पंजीकृत हैं।
3. **अपंजीकृत चिटफंड:** इस प्रकार के चिटफंड अवैध रूप से चलाए जाते हैं। इस प्रकार के फंड पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों इत्यादि समूहों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

ऐसी कंपनियों में लोगों के फँसने के कारण

- चिटफंड कंपनियाँ इस काम को मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) में तब्दील कर देती हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनियाँ मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों से उनकी जमा पूंजी जमा करवाती हैं साथ ही और लोगों को भी जोड़ने के लिए कहती हैं।
- बाजार में फैले उनके एजेंट साल, महीने या फिर दिनों में जमा पैसे पर दोगुने या तिगुने मुनाफे का लालच देते हैं। ललचाऊ और लुभावनी योजनाओं के जरिए कम समय में बहुत अधिक मुनाफा देने का दावा किया जाता है।
- इनमें प्लांटेशन, बकरी पालन इत्यादि के नाम पर तो कभी जमा पूंजी पर, बैंक से अधिक ब्याज का लालच देकर पैसा जमा करवाया जाता है।
- कंपनियाँ ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में ज्यादा सक्रिय रहती हैं। दूर-दराज के इलाकों में फैले हजारों एजेंटों के नेटवर्क के जरिए धन उगाहती हैं।
- कंपनी के विज्ञापन और दस्तावेजों में बड़े-बड़े नेताओं, फिल्मी और अन्य बड़ी हस्तियों के साथ संबंधों को देखकर निवेशक, कंपनी और एजेंटों पर आँख मूँद कर भरोसा कर बैठता है।
- कम समय में अमीर बनने की चाहत में मध्यम और निचले तबके के लोग अपनी गाढ़ी कमाई को चिटफंड कंपनियों और एजेंटों के हवाले कर देते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी (SEBI) की चेतावनियों के बावजूद लाखों निवेशक इन कंपनियों की जालसाजी का शिकार हो रहे हैं।

शारदा चिटफंड घोटाला

सन् 2000 में कारोबारी सुदीप्तो सेन ने शारदा ग्रुप की शुरूआत की, जिसे सेबी ने बाद में कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम के तौर पर वर्गीकृत किया। शारदा ग्रुप ने चिटफंड की तर्ज पर ज्यादा रिटर्न का लालच देकर छोटे निवेशकों को आकर्षित किया। अन्य पोंजी स्कीम (चिटफंड कंपनी) की तरह कंपनी ने एजेंट के बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए छोटे लोगों से पैसों की उगाही की और इसके लिए एजेंट को 25 फीसद तक का कमीशन भी दिया गया।

कुछ ही सालों में शारदा ग्रुप ने करीब 2,500 करोड़ रुपये तक की पूँजी जुटा ली। कंपनी ने फिल्म स्टार, फुटबॉल क्लब में निवेश, मीडिया आउटलेट्स की खरीददारी कर अपनी ब्रांड का निर्माण किया। स्कीम का दायरा ओडिशा, असम

और त्रिपुरा तक फैला, जिसमें करीब 17 लाख से अधिक लोगों ने पैसे लगाए।

इस बीच शारदा ग्रुप ने डिबेंचर और प्रिफरेंशियल बॉन्ड जारी करना शुरू किया, जो सेबी के नियमों का उल्लंघन था। सेबी की चेतावनी के बाद भी इस ग्रुप ने करीब 200 से अधिक कंपनियों का जाल खड़ा करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। छोटे निवेशकों ने जहाँ समूह में निवेश जारी रखा, वहीं कई लोगों ने चिटफंड एक्ट, 1982 के तहत समूह में निवेश किया।

2012 में सेबी ने इस समूह को लोगों से पैसा जुटाने के लिए मना किया और 2013 तक आते-आते ग्रुप की हालत खराब होने लगी। कंपनी के पास पूँजी की मात्रा, खर्च हो रही पूँजी से कम हो गई और फिर अप्रैल 2013 में यह दिवालिया हो गई। इस प्रकार लाखों लोगों का पैसा डूब गया। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु तक में लोग इस चिटफंड के शिकार हुए हैं।

इस कंपनी के माध्यम से लोगों को ठगने के उद्देश्य से लुभावने ऑफर दिये गये तथा लगभग 17 लाख लोगों से पैसे लिए गए। बॉन्ड्स में निवेश से 25 साल में रकम 34 गुना करने के ऑफर दिए गए। आलू के कारोबार में निवेश के जरिये 15 महीने में रकम दोगुना करने का वादा किया गया। महज चार सालों में पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों को मिलाकर कुल 300 दफ्तर खोले गए। शारदा ग्रुप ने 200 कंपनियों के जरिये लोगों का पैसा ठगा। पश्चिम बंगाल में चर्चित रोज वैली चिटफंड घोटाला लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का बताया जाता है।

राज्य सरकार की भूमिका

चिटफंड एक्ट, 1982 की धारा 61 के तहत चिटफंड रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। चिटफंड के मामलों में कार्रवाई और न्याय निर्धारण का अधिकार रजिस्ट्रार और राज्य सरकार का ही होता है।

आरबीआई और सेबी के दिशा-निर्देश

रिजर्व बैंक अधिनियम (आरबीआई एक्ट, 1934) की 'धारा 45-1ए' के मुताबिक कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बिना आरबीआई के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अपने कारोबार की शुरूआत नहीं कर सकती है। इसके लिए उस कंपनी के पास दो करोड़ रुपए की राशि का होना जरूरी है। हालाँकि कुछ कंपनियाँ जैसे वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी आदि आरबीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, लेकिन उन्हें भी सेबी (सिक्युरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा गैर बैंकिंग कंपनी या चिटफंड कंपनी को आरबीआई एक्ट के मुताबिक पंजीकरण के लिए कंपनी एक्ट 1956 की धारा के अंतर्गत भी पंजीकृत कराना होगा।

सरकार ने चिटफंड के बारे में कुछ गाइडलाइन भी दे रखी है। सेबी ने चेतावनी जारी कर रखी है कि वह न किसी स्कीम या शेयर में निवेश की सलाह देती है और न ही किसी स्कीम को लेने की सिफारिश करती है। आरबीआई और बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) भी निवेशकों के लिए चेतावनी जारी करती रही है। सेबी ने डेढ़ साल में 47 कंपनियों पर धोखाधड़ी के मामले चलाए हैं।

'द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल, 2018'

- वर्तमान में केंद्र सरकार ने 'द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल, 2018' में आधिकारिक संशोधनों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है।
- 'द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल, 2018' के कानून का रूप लेने के बाद जो भी जमा योजनाएँ इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं होंगी, वे अवैध हो जाएंगी।
- ऐसी कंपनियों के मालिक, एजेंट और ब्रांड एंबेसडर के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनकी संपत्ति बेचकर गरीबों की पूँजी वापस कराई जाएगी।
- इसके साथ ही अनियमित जमा राशि लेने वाली योजना को बढ़ावा देने अथवा उनके संचालन के लिए सजा का प्रावधान होगा।
- कोई भी संस्था प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, विज्ञापन के जरिए या फिर लोगों से आग्रह कर अनियमित जमा योजना नहीं चलाएगी।
- इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुल जुटायी जमा राशि का दोगुना तक बतौर जुर्माना भरना होगा।
- यदि कोई संस्था नियमित जमा योजना में मियाद पूरी होने पर धोखा कर पैसा वापस नहीं चुकाए तो उसके लिए सात साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 5 लाख से 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।
- बार-बार जुर्म करने वालों को 10 साल तक सजा और 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
- यदि धोखा-धड़ी का मामला किसी कम्पनी पर साबित होता है तो जवाबदेह अधिकारी पर कार्रवाई होगी और उसे जेल जाना पड़ सकता है। अधिकारियों में कम्पनी के निदेशक से लेकर प्रबंधक तक को शामिल किया गया है।
- जमाकर्त्ताओं के पैसे जुटाने के लिए संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। इसके साथ गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को प्रभावित लोगों के बीच बाँटने की भी व्यवस्था होगी।
- संपत्ति जब्त करने और प्रभावित लोगों को मदद पहुँचाने का काम तय समयसीमा के भीतर होगा।
- एक ऑनलाइन डाटाबेस बनाया जाएगा जिसमें गैर-कानूनी ढंग से जमा या गैर नियमित जमा योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
- सेबी के द्वारा अनाधिकृत सामूहिक निवेश योजनाओं के संचालन पर कड़ा दंड लगाया जा सकता है।

आगे की राह

- चिटफंड में निवेश करने से पहले यह अवश्य जाँच लें कि यह कंपनी पंजीकृत है या नहीं। जिन राज्यों में चिटफंड संचालित किया जाता है, उस राज्य के चिटफंड रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाना चाहिए। निवेशक को चिटफंड के बारे में राज्य चिटफंड रजिस्ट्रार से यह भी पता करना

चाहिए कि इन कंपनियों के खिलाफ कोर्ट में कोई शिकायत तो दर्ज नहीं की गई है।

- लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है कि बैंक जहाँ 8 से 9 प्रतिशत का लाभ देते हैं और म्युचुअल फंड लगभग 10-12% का लाभ उपलब्ध कराते हैं तो चिटफंड या पोंजी कंपनियाँ 23% से 24% का लाभ कैसे दे सकती हैं। इसके अलावा इनके विनियमन के लिए अलग से स्वतंत्र निकाय का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही जो भी नियम कानून हैं, उनका कार्यान्वयन मजबूती के साथ किया जाना चाहिए। तथाकथित प्रशासनिक व राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है क्योंकि बिना राजनीतिक/प्रशासनिक साँठ-गाँठ के ये कंपनियाँ इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकती हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

3. भारत में सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता

चर्चा का कारण

हाल ही में पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक हलचलों के बीच केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय के पास भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का कैडर नियंत्रण का प्राधिकार है। गृह मंत्रालय के अनुसार, राजीव कुमार का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठना अखिल भारतीय सेवा नियमावली, 1968 और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

परिचय

भारत में सिविल सेवा के अधिकारी जनता के साथ-साथ सरकार के प्रति एक निश्चित जिम्मेदारी रखते हैं, जो उनके पद के साथ आती है। साथ ही उन्हें आधिकारिक जिम्मेदारी के साथ-साथ निजी क्षमता से एक निश्चित प्रकार के आचरण का पालन करना होता है। इन जिम्मेदारियों को लागू करने के कुछ नियम और कानून हैं, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा आचरण (नियम) 1964 के नाम से जाना जाता है। गौरतलब है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों को 30 नवंबर, 1964 को अधिसूचित किया गया था और उसी दिन से ही यह नियम लागू हो गया था। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, केंद्रीय सिविल सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है।

भारत में सिविल सेवा

अखिल भारतीय सेवाएँ: अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान है। संविधान संघ एवं राज्यों के लिए समान अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की व्यवस्था करता है। अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली बना सकती है। वर्तमान में केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में गठित किया गया है।

केंद्रीय सिविल सेवा: केंद्रीय सिविल सेवाएँ, केंद्रीय सरकार के प्रशासन से संबंधित हैं। यह विदेशी मामलों, रक्षा, आयकर, सीमा शुल्क, पत्रों और तार आदि जैसे विषयों के साथ संबंधित हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भर्ती किए जाते हैं।

राज्य सिविल सेवा: राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं और भर्ती का आयोजन भारत के राज्यों द्वारा की जाती है। राज्य सिविल सेवा भूमि राजस्व, कृषि, वन, शिक्षा आदि जैसे विषयों के साथ जुड़ी हैं। राज्य नागरिक सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य लोक सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती हैं।

सिविल सेवक के बुनियादी मूल्य

सामाजिक कार्य के विषय क्षेत्र का सबसे बेहतर माध्यम सिविल सेवा है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें शक्ति और संसाधन सरकार का होता है, लेकिन व्यक्ति अपनी योग्यता से इस पद पर पहुँचने के पश्चात् सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाता है, अर्थात् वह सरकारी शक्ति एवं संसाधन के वैधानिक उपयोग का अधिकारी हो जाता है। लेकिन इस विषय क्षेत्र की अपनी चुनौतियाँ भी हैं। उसे प्रशासनिक तंत्र के भीतर और बाहर दोनों तरफ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शासन एवं प्रशासन का टकराव बना रहता है। अनवरत एक तरफ जनता और दूसरी तरफ शासन का दबाव बना रहता है। साथ ही सिविल सेवक जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। इसलिए सिविल सेवकों से कुछ खास तरह की योग्यताओं और मूल्यों की अपेक्षा की जाती है।

सिविल सेवा के कुछ बुनियादी मूल्य हैं- सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता।

सत्यनिष्ठा: सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा का होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि भारतीय समाज के मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। जनसामान्य प्रायः असत्य के मार्ग को अपनाता है। धीरे-धीरे यह मानसिकता बन गई है कि असत्य के मार्ग से सफलता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इस मूल्यांतरण का प्रभाव समाज के सभी क्षेत्रों पर पड़ा। इस मानसिकता से शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और यहाँ तक कि जनसामान्य भी पूर्णतः प्रभावित रहा है। आवश्यकता इस मूल्य को बदलने की है। जनसामान्य में सत्य के प्रति आस्था का जो ह्रास हुआ है, उसका उत्तरदायित्व शासन एवं प्रशासन दोनों का है। यदि प्रशासनिक अधिकारियों में ही सत्य के प्रति आस्था नहीं होगी तो जनसामान्य का मनोबल स्वतः टूट जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सत्यनिष्ठा को प्रशासनिक क्षेत्र में एक मूल्य के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है।

भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी: सिविल सेवा के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे भाषा, जाति, धर्म, लिंग आदि भेदभावों से ऊपर उठकर व्यक्ति को समानता के रूप में देखें। किसी भी प्रकार का नकारात्मक भेदभाव उनकी मानसिकता में नहीं होना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान रूप से देखना चाहिए। अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में वे सभी प्रयास करने चाहिए जिससे भेदभाव रहित समाज का निर्माण हो सके और यह तभी संभव होगा, जब अधिकारी की मानसिकता स्वयं भेदभाव रहित हो।

निष्पक्षता: वर्तमान संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी भेदभाव के पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उपयोग करें, क्योंकि जब तक प्रशासनिक तंत्र में निष्पक्षता स्थापित नहीं होती तब तक अन्य विभागों से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। केवल निष्पक्षता ही नहीं बल्कि विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना भी अत्यधिक आवश्यक है।

सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राय: कुछ अभ्यर्थी सिविल सेवा में निहित शक्ति से आकर्षित होते हैं। उन्हें वस्तुत: पावर हंगर (Power Hunger) कहा जाता है। वे सिविल सेवा के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और पुन: इस शक्ति का उपयोग वे अपने निजी हित में करते हैं, लेकिन यह सिविल सेवा के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं है। वास्तव में अधिकार के साथ-साथ कर्त्तव्य भी जुड़े रहते हैं। उसका कर्त्तव्य अपने अधिकारों का उपयोग समाज सेवा करने के लिए है, लेकिन प्राय: समाज सेवा के प्रति यह समर्पण भाव कम हो रहा है।

कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना: शासन का कार्य सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए नीतियाँ बनाने का है, लेकिन इन नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासन का दायित्व है। इसलिए प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि उसमें इस वर्ग के प्रति सहानुभूति होगी। यह वर्ग लंबे समय से शोषित एवं दमित रहा है। वास्तव में सहानुभूति शब्द की भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। प्रशासन में इनके प्रति केवल सहानुभूति का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनके प्रति गहरी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। प्रशासन को इस संदर्भ में अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए।

केंद्रीय सिविल सेवा आचरण (नियम) 1964

के. सन्थानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा बनाए रखने की दृष्टि से सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों को संशोधित किया गया और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाते हुए केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1964 अधिसूचित की गई थी।

भारत में सिविल सेवकों से संबंधित आचरण-नियम

भारत में लोकसेवकों से सम्बंधित आचरण-नियम निम्नलिखित हैं :-

- लोक सेवकों को हमेशा अपने कर्त्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए।
- उन्हें किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए।
- लोक सेवकों को किसी ऐसे दल का सदस्य नहीं बनना चाहिए जो राजनीति में भाग लेता हो।
- उन्हें राजनीतिक उद्देश्य से संकलित किये जाने वाले किसी कोष में कोई धनराशि नहीं देनी चाहिए।
- उन्हें सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए और उन्हें अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त प्रेस या रेडियो से संपर्क नहीं रखना चाहिए।
- उपहार ग्रहण करने के सन्दर्भ में यह नियम है कि यदि विवाह, जन्म दिवस या किसी धार्मिक उत्सव में किसी लोक सेवक को सौ रुपये से अधिक मूल्य की कोई भेंट प्राप्त हो तो इसका विवरण शीघ्र सरकार को देना चाहिए।
- कोई लोक सेवक किसी प्रकार की सट्टेबाजी नहीं कर सकता है और न ही उसकी पत्नी या परिवार के कोई सदस्य इस प्रकार का कोई काम कर सकते हैं।
- कोई भी लोक सेवक अपने विभाग में अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार को नियुक्त नहीं कर सकता है।
- कोई भी लोक सेवक पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, हालाँकि संतान न होने की स्थिति में वह ऐसा कर सकता है किन्तु इसके लिए उसे सरकार से लिखित स्वीकृति लेनी होगी।
- सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय लोक सेवक को अपनी सम्पूर्ण अचल संपत्ति की सूची सरकार को देनी होती है। साथ ही प्रति वर्ष प्राप्त की जाने वाली संपत्ति की सूचना भी सरकार को देना अनिवार्य है।
- लोक सेवक को अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, किन्तु उसे सामान्य जनता में इस तरह का आचरण करना चाहिए, जिससे ये न लगे कि वह राज्य के पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम के अनुसार लोक सेवक किसी प्राइवेट कंपनी या संगठन द्वारा आयोजित किसी प्रतियोगिता या सामाजिक समारोह में भाग न ले जिसका मुख्य उद्देश्य अपने व्यापार को बढ़ावा देना हो।
- कोई भी लोक सेवक शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यापार या व्यवसाय में किसी प्रकार से भाग नहीं ले सकता है।
- यदि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति से ऐसी धनराशि, जो विधिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त होती है, किसी उद्देश्य या पुरस्कार के लिए स्वीकार करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत दंडनीय होगा।

सिविल सेवकों के लिए संवैधानिक रक्षोपाय

किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। [अनुच्छेद 311(1)]

किसी व्यक्ति को, ऐसी जाँच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। [अनुच्छेद 311(2)]

सिविल सेवकों हेतु केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना नवंबर, 1985 में की गई थी। इस अधिकरण का मुख्य उद्देश्य केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवा से सम्बन्धित मामले को तीव्रता तथा कम खर्च में न्याय प्रदान करना है। इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है। अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण को वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त हैं जो उच्च न्यायालय को निम्न मामलों में प्राप्त हैं-

- किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं तथा संघीय लोक सेवाओं की भर्ती अथवा सैनिक सेवाओं के असैनिक कर्मचारियों की भर्ती,

- उपरोक्त सभी कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित मामले, तथा
- उन सभी व्यक्तियों की सेवा से सम्बन्धित मामले जिनकी सेवाएँ राज्य सरकारों अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराई गई हैं।

चुनौतियाँ

देश में नौकरशाहों द्वारा जब राजनीति में आने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं माना जाता है। भारत जैसे देशों में राजनीतिज्ञों के साथ नौकरशाहों को काम करने के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन महत्त्वाकांक्षी अधिकारियों की एक बड़ी समस्या यह हो सकती है कि उनका काम नेताओं की तरह पर्दे पर नहीं आ पाता जिससे वे अपने आप को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान में कई ऐसे अफसर रहे हैं जिन्होंने देश हित को सर्वोपरि न रखते हुए राजनीति की नीतियों को हावी होने दिया, इससे संबंधित अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे कोई भी फैसला लेते समय गरीबों के हितों को ध्यान में रखेंगे।

निष्कर्ष

सिविल सेवा भारत की सर्वोच्च सेवा होने के कारण इससे जुड़ी प्रतिष्ठा व विविध चुनौतियाँ इस सेवा को और अधिक आकर्षक और सुरक्षित बनाती हैं। सिविल सेवकों ने प्रशासन में निरंतरता और परिवर्तन सुनिश्चित करने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन अत्यंत सावधानी, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ करेगा। हालाँकि कई बार यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि वह बिना किसी दबाव या भ्रष्टाचार के अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाएगा।

वर्तमान में सिविल सेवकों के पास कार्य करने की व्यापक शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिस कारण कई बार उनकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन, यदि इस शक्ति का सही से इस्तेमाल किया जाए तो यह देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। यही वजह है कि बड़े बदलाव या कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाले युवा इस नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं।

सिविल सेवक समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं, इसलिए उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे इस पद की प्रतिष्ठा धूमिल हो। साथ ही उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक दलों से साठ-गाँठ न करके अपने कर्त्तव्यों का सही तरीके से पालन करें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।

■

4. अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्त्व

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और सेला टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला सेला दर्रे के पास रखी। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तवांग तथा पश्चिम कामेंग जिलों की सीमा पर स्थित है। यह दर्रा तवांग को शेष भारत से जोड़ता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने होलांगी के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की भी आधारशिला रखी तथा तेजू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चीन ने कहा है कि उसने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग नहीं माना है, जबकि उसके जवाब में भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है।

परिचय

अरुणाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह सेवन-सिस्टर्स में शामिल है। 'अरुणाचल' का हिन्दी में शाब्दिक अर्थ है 'उगते सूर्य की भूमि' (अरुण+अचल)। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिन्दी और असमिया है साथ ही अंग्रेजी भाषा भी आजकल धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी (नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी- नेफा) के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। इस राज्य में पहाड़ी और अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर हैं। 'कामेंग', 'सुबनसिरी', 'सिआंग', 'लोहित' और 'तिरप' आदि नदियाँ इन्हें अलग-अलग घाटियों में विभाजित करती हैं।

पृष्ठभूमि

1947 में जब भारत ब्रिटिश राज्य से मुक्त हुआ तब देश के पूर्वोत्तर में तीन ही बड़े राज्य थे- त्रिपुरा, मणिपुर और असम। बाद में इन्हीं राज्यों से 4 राज्य और बने जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यहां तिब्बत, म्यांमार और भूटानी संस्कृति का भी प्रभाव है। 16वीं सदी में तवांग में बना बौद्ध मंदिर इसकी खास पहचान है तिब्बत के बौद्धों के लिए यह काफी पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल के बीच कोई निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं किया था। लेकिन राष्ट्र-राज्य की अवधारणा आने के बाद सरहदों की बात होने लगी। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर न तो मुगलों का और न ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे।

तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बतियों ने भी स्वीकार किया, लेकिन चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 1935 के बाद से यह पूरा इलाका भारत के मानचित्र में आ गया।

चीन ने तिब्बत को कभी स्वायत्त क्षेत्र नहीं माना, उसने 1914 के शिमला समझौते में भी इसकी पुष्टि की। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम है। अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है इसलिए चीन 1962 में युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया, इसके बाद से भारत ने पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया।

विवाद क्या है?

1950 के दशक के अंत में तिब्बत को मिलाने के बाद चीन ने अक्साई चीन के करीब 38 हजार वर्ग किलोमीटर इलाकों को अपने अधिकार में कर लिया था, ये इलाके लद्दाख से जुड़े थे। चीन ने यहां नेशनल हाइवे संख्या 219 बनाया जो उसके पूर्वी प्रांत शिन्जियांग को अरुणाचल से जोड़ता है जबकि भारत इसे अवैध कब्जा मानता है।

दोनों देशों के बीच 3,488 किमी लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर अभी भी विवाद बना हुआ है जो कभी-कभी भारत और चीन के बीच तनाव की वजह बनता है।

- चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है लेकिन चीन इसे खारिज करता है। चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है।
- ज्ञातव्य है कि शुरू में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर चीन दावा करता था। यहाँ भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है।
- चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन और भारत के सीमा विवाद में उसका रुख पहले की तरह ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
- चीन की सरकार ने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग कभी नहीं माना है। भारतीय नेताओं के अरुणाचल दौरे को चीन अपने क्षेत्र में दखल मानता है।
- चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन आज तक मुद्दा सुलझ नहीं पाया है।

भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश का महत्त्व

- चूंकि अरुणाचल प्रदेश की ऊँचाई चीनी क्षेत्र से अधिक है इसलिए इस क्षेत्र से भारत के मिसाइल रेंज के क्षेत्र में चीन का महत्वपूर्ण क्षेत्र (Heart Land) आता है।
- भारत अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से किसी भी चीनी हमले का माकूल जवाब देने में सक्षम है।
- चीन जिस तरह से इस इलाके की प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए इसके इर्दगिर्द आधारभूत ढाँचा तैयार कर रहा है, इससे यह संभावना जतायी जा रही है कि भविष्य में वह इसका उपयोग सैन्य दृष्टिकोण के लिए भी कर सकता है।

सेला दर्रा

सेला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले के मध्य अवस्थित एक उच्च तुंगता वाला पहाड़ी दर्रा है। इसकी ऊँचाई 4,170 मीटर (13,700 फुट) है और यह तवांग को दिरांग और गुवाहाटी से जोड़ता है। इस दर्रे से होकर ही तवांग शेष भारत से एक मुख्य सड़क के जरिये जुड़ा हुआ है। इस दर्रे के आस-पास वनस्पतियाँ अल्प मात्रा में उगती हैं तथा यह क्षेत्र ज्यादातर सालों-भर बर्फ से आच्छादित रहता है।

दर्रे से लाभ

इस परियोजना के तहत 12.04 किलोमीटर की दूरी की सड़क का निर्माण किया जायेगा, इसमें 1790 मीटर तथा 475 मीटर की दो सुरंगें भी शामिल हैं। यह सुरंग परियोजना सेना के लिए भी काफी उपयोगी है। इससे अरुणाचल प्रदेश का शेष भारत के साथ ऑल-वेदर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस सुरंग से उत्तर-पूर्वी राज्यों में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियाँ भी तीव्र होंगी। इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात् तेजपुर और तवांग के मध्य यात्रा कम समय में पूरी हो जाएगी।

- भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे चीन के नियंत्रण वाले भू-भाग लहुन्जे काउंटी में सोने, चाँदी और अन्य कीमती धातुओं के विशाल भंडार मिले हैं। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 अरब डॉलर है। स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी रकम में भारत के भू-भाग का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिसे चीन हड़पना चाहेगा।
- भारतीय जनजीवन में हिमालय का खास महत्त्व है। यहाँ की जीवनदायिनी नदियाँ (ब्रह्मपुत्र), औषधि प्रदान करने वाले घने वन आदि से भारत की आध्यात्मिक आस्था जुड़ी हुई है।
- हाल के वर्षों में भारत द्वारा अनेक सड़कों, रेलों एवं पुलों का उद्घाटन किया गया है, इससे अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश में अनेक दर्शनीय स्थल स्थित हैं।
- अरुणाचल प्रदेश उत्तर-पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में पहुँचना आसान होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अरुणाचल प्रदेश का अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सीमाएँ पश्चिम में भूटान से और पूर्व में म्यांमार से लगी हुई हैं। यहाँ से भारत पूर्वी एशिया के साथ द्विपक्षीय एवं राजनैतिक बढ़त प्राप्त कर सकती है।
- इसके अलावा भविष्य में भारत की महत्वपूर्ण 'एक्ट ईस्ट की नीति' को नया आयाम देने में भी अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

नत्थी वीजा मामला

सामान्यत: जब आप विदेश जाते हैं, तो आव्रजन अधिकारी (immigration officer) आपके पासपोर्ट पर एक स्टाम्प लगा देते हैं जिससे यह पता चल सके कि आप उनके देश में किस उद्देश्य से आए हैं। नत्थी वीजा में आव्रजन अधिकारी आपके पासपोर्ट पर स्टाम्प नहीं लगाता है बल्कि एक कागज अलग से आपके पासपोर्ट के साथ नत्थी कर देता है। इस कागज में आपके द्वारा उस देश की यात्रा करने का उद्देश्य लिखा होता है और अधिकारी इसी कागज पर स्टाम्प लगाते हैं, इसे ही नत्थी वीजा कहते हैं।

नत्थी वीजा कई देशों द्वारा जारी किया जाता है। ये देश हैं- क्यूबा, ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया। ये देश चीन और वियतनाम के लोगों को भी नत्थी वीजा जारी करते थे लेकिन इन देशों में हुए आपसी समझौते के बाद इन देशों को इससे छूट मिल गयी है।

नत्थी वीजा और भारत

चीन भारत के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा जारी करता है। लेकिन चीन यह नीति भारत के अन्य राज्यों के निवासियों के साथ लागू नहीं करता है। चूंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का भाग मानता है और तिब्बत पर चीन का अधिकार है इस कारण चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है। लेकिन वह अरुणाचल में रहने वाले लोगों को 'चीनी' नहीं मानता है इसलिए वह यहाँ के निवासियों को नत्थी वीजा जारी करता है।

भारत, चीन द्वारा जारी किये जाने वाले नत्थी वीजा का इसलिए विरोध करता है क्योंकि हो सकता है कि नत्थी वीजा पर बार-बार विदेश यात्रा करने वाला भारतीय नागरिक देश के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हों जाए, जबकि उसके पासपोर्ट पर इस यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की चीन यात्रा इसका पुख्ता सबूत है।

सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि चीन द्वारा भारत के जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए नत्थी वीजा की जो प्रक्रिया शुरू की है वो भारत के खिलाफ लोगों को चीन में आमंत्रित करके भारत को तोड़ने की

साजिश को अंजाम देने का प्रयास है। यही कारण है कि जब भी चीनी सरकार इन दोनों राज्यों के नागरिकों को नत्थी वीजा जारी करती है तो भारत सरकार इसका विरोध करती है।

चुनौतियाँ

- चीन, तिब्बत में रेल नेटवर्क का जाल बिछा रहा है। 1985 किमी. लंबा छिंगहाई रेल मार्ग तिब्बत को शेष चीन से जोड़ता है। यह भारत, नेपाल और भूटान की सीमाओं के करीब स्थित है। सीमा से 5068 मीटर दूर तांगुला में चीन ने रेलवे स्टेशन बनाया है इससे भारत तक चीन आसानी से पहुँच सकता है।
- ज्ञातव्य है कि चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में 14 एयरबेस बनाए हैं और 58,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछाया है अर्थात् चीन लगातार इस क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ा रहा है।
- पूर्वोत्तर के राज्य (अरुणाचल प्रदेश) अभी भी विकास की गति से दूर नजर आते हैं, इसका मुख्य वजह है इस क्षेत्र में उग्रवाद की मजबूत पकड़।
- पूर्वोत्तर भारत के लोग आज भी अपने को भारतीय नागरिक नहीं मानते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि भारत में इनका जबरन विलय हुआ है।
- अरुणाचल प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश का समुचित विकास नहीं हो पाया है। यहीं कारण है कि राज्य के लोगों में गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त है।
- सरकारी योजनाओं का अरुणाचल प्रदेश में उचित तरीके से क्रियान्वयन न होना।
- पूर्वोत्तर भारत देश के शेष हिस्सों से केवल एक संकीर्ण भूमि से जुड़ा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण यहाँ विकास कार्य अपेक्षानुरूप हुआ है।
- अरुणाचल प्रदेश में हाल के वर्षों में कनेक्टिविटी बढ़ी है लेकिन बढ़ते पर्यटन और व्यापार के अनुरूप यह कनेक्टिविटी काफी कम है।
- भारत के 'एक्ट ईस्ट नीति' का क्रियान्वयन सही ढ़ंग से न हो पाना, अर्थात् राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है।

आगे की राह

- चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत को और मजबूती के साथ अरुणाचल प्रदेश में सड़क, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग, वायु संपर्क और संचार नेटवर्क में सुधार करने की आवश्यकता है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का विकास करने की आवश्यकता है।
- सरकार को इस क्षेत्र में सुक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों के विकास, उन्नयन और संवर्द्धन के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएँ लागू करने की जरूरत है। साथ ही इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से हो इसका भी समय-समय पर निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।
- सरकार को चाहिए कि वह पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति व सामाजिक ताने-बाने का व्यापक प्रचार-प्रसार करे।
- इसके अलावा समय-समय पर राजनयिक दलों को पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करते रहना चाहिए।
- निर्धारित तथ्यों, स्पष्ट परिणामों, रणनीतियों और क्षेत्र के लिए समन्वित योजना के साथ अरुणाचल प्रदेश को तेजी से आत्मनिर्भर बनाना होगा ताकि यह देश के खजाने और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रूप से योगदान दे सके।
- अगर भारत को अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' को नया आयाम देना है तो पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना ही होगा क्योंकि भारत की एक्ट ईस्ट नीति इन्हीं राज्यों के विकास पर निर्भर है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

5. डाटा उपनिवेशवाद और उसकी चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

9वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन-2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि नव उपनिवेशवाद का एक नया रूप डाटा उपनिवेशवाद उभरकर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को डाटा उपनिवेशवाद को लेकर वैश्विक कंपनियों के विरुद्ध गम्भीर कदम उठाने चाहिए।

महात्मा गाँधी के राजनीतिक उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष को याद करते हुए अंबानी ने कहा कि भारत को अब सामूहिक रूप से डाटा उपनिवेशवाद के खिलाफ नए आंदोलन की जरूरत है। इस नई दुनिया में डाटा एक धन के रूप में है और इस धन पर हर व्यक्ति का अधिकार है। भारत का डाटा वैश्विक कॉर्पोरेट की ओर से नहीं बल्कि भारतीय लोगों की ओर से नियंत्रित होना चाहिए।

परिचय

21वीं सदी की शुरूआत में 'डाटा' एक धन सम्पत्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। गूगल, अमेजन, वालमार्ट और फेसबुक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लोगों की मानसिक दशा, संबंधों, संस्कृति और व्यवहार इत्यादि को समझकर उनकी वरीयताओं (Preferences) को समझा और इन्हीं वरीयताओं के आधार पर विज्ञापन और विभिन्न तरह के लुभावने उपहारों से अपने बिजनेस को विस्तृत किया। लोगों की मानसिक प्रवृत्तियों और व्यवहार आदि को समझने के लिए इन कम्पनियों ने डाटा की माइनिंग (उत्खनन) और एकत्रीकरण पर भारी निवेश किया। इस प्रकार किसी उत्पाद को क्षेत्र विशेष में लोगों की मानसिक प्रवृत्ति को समझकर इस तरह प्रचारित-प्रसारित किया जाता है कि लोग न चाहते हुए भी उस उत्पाद के ग्राहक बन जाते हैं।

कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी सिर्फ यह तो एक शुरूआत है, आगे चलकर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ व्यक्तिगत डाटा को इतनी ज्यादा मात्रा में एकत्र कर लेंगी कि लोगों को ये व्यक्तिगत (Individual) रूप से प्रभावित करेंगी और अपना ग्राहक बनायेंगी। 20वीं सदी में पेट्रोलियम पदार्थ एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में था और पूरे विश्व में इसी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी कम्पनियों का राज था, किन्तु 21वीं सदी में पेट्रोलियम का स्थान डाटा ने ग्रहण कर लिया है और आज जिस कम्पनी का डाटा पर राज है, उसी का दुनिया पर राज है। इसके उदाहरण के रूप में गूगल और फेसबुक आदि को देखा जा सकता है।

डाटा का स्रोत और स्वामित्व

आज अधिकतर लोगों के हाथों में स्मार्टफोन, टेबलेट और लैपटॉप आदि उपलब्ध हैं और इन

आधुनिक उपकरणों के माध्यम से लोग इंटरनेट आदि से जुड़े हुए हैं। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 120 करोड़ लोग मोबाइल और 50 करोड़ से अधिक लोग स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन को मोबाइल एप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भर दिया है लोग अपने जीवन से जुड़ी हर चीज इन प्लेटफॉर्म्स पर साझा कर रहे हैं या कहा जाए कि अब इनके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इस प्रकार जाने-अनजाने में आम नागरिक एक बड़ी मात्रा में प्रतिदिन डाटा को उत्पन्न कर रहे हैं, जो 21वीं सदी में एक प्रकार का अमूल्य धन है। अब प्रश्न उठता है कि इस अमूल्य धन पर किसका नियंत्रण या स्वामित्व है और इससे किसी प्रकार का खतरा तो उत्पन्न नहीं हो रहा है? लोग सोचते हैं कि वह अपने मोबाईल, लैपटाप और वेबसाइट आदि में जो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर उनका पूरा नियंत्रण व अधिकार है और उनकी गतिविधियाँ पूरी तरह गोपनीय हैं। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, डाटा तो आम आदमी उत्पन्न करता है पर डाटा उत्पन्न होने के बाद उस पर स्वामित्व किसी और का हो जाता है। डाटा पर स्वामित्व किसी और का नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का है, जो विभिन्न तरह की डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध करा रही हैं। आज विभिन्न रोगियों का डाटा उन कम्पनियों के पास है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

डाटा का इस्तेमाल

पिछले कुछ वर्षों से यह भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि डाटा का इस्तेमाल कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस और इन्वेन्टरी मॉडल आदि में किया जा रहा है। इन्वेन्टरी मॉडल में ई-कॉमर्स क्षेत्र की कम्पनियाँ डाटा का इस्तेमाल करके ग्राहकों के व्यवहार को समझती हैं और उसी अनुसार उत्पाद का प्रचार-प्रसार करती हैं। एआई और आईओटी जैसी आधुनिक तकनीकें डाटा की डीप लर्निंग उसी प्रकार करती हैं जैसे कि मानव का तंत्रिका तंत्र किसी समस्या का हल खोजने के लिए करता है। डीप लर्निंग के बाद बिजनेस को बढ़ाने के लिए बेहतर-से-बेहतर उपाय सामने आते हैं।

डाटा के उपयोग द्वारा व्यापार को गति प्रदान करने के उदाहरण के रूप में अमेरिका का डिजिटल विज्ञापन व्यवसाय (Digital Advertising Business) और चीन के भुगतान व्यवसाय (Payment Business) को भी देखा जा सकता है। अमेरिका के कुल विज्ञापन व्यवसाय में गूगल और फेसबुक का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा है, जो इन कम्पनियों के द्वारा डाटा की पकड़ से ही सम्भव हुआ है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति चीन में भी देखने को मिलती है। चीन में भुगतान व्यवसाय में क्यूआर कोड की तकनीक आने से कुछ ही कम्पनियों ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य बनाया है, जैसे- अलीबाबा ग्रुप के अलीपे (Alipay) और टेनसेंट होल्डिंग्स (Tencent Holdings) के वीचैट (WeChat) ने चीन के भुगतान व्यवसाय के लगभग 90 प्रतिशत पर अपना कब्जा जमाया हुआ है।

डाटा उपनिवेशवाद

उपनिवेशवाद का अभिप्राय उस स्थिति से है, जिसमें कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली देश पर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करके उसके संसाधनों का दोहन अपने हित में करता है; उदाहरण के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों पर द्वितीय विश्व युद्ध तक अपना औपचारिक नियंत्रण बनाये रखा। स्वाधीन होने के पूर्व भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था।

संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य बाध्यताओं के चलते ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली यूरोपीय देशों को अपनी परम्परागत उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को त्याज्य करना पड़ा। लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे उपनिवेशवाद ने अपना स्वरूप बदला और शक्तिशाली देशों- यथा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों ने विश्व व्यवस्था को इस प्रकार ढाला ताकि उनके ज्यादा-से-ज्यादा हित पूरे हो सकें, जिसे हम अमेरिका की पश्चिम एशिया में 'तेल की राजनीति' के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को 'नव उपनिवेशवाद' (Neo-colonialism) की संज्ञा दी गयी।

21वीं सदी में डाटा जैसे बहुमूल्य धन को बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने बटोरकर अपना साम्राज्य स्थापित करने में उपयोग किया, इस प्रकार की प्रवृत्ति को 'डाटा उपनिवेशवाद' की संज्ञा दी गयी। डाटा उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद से अलग विचारधारा/प्रवृत्ति नहीं है बल्कि यह इसके एक अंग के रूप में है अर्थात् डाटा उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद को गति प्रदान कर रहा है। डाटा उपनिवेशवाद में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ लोगों के द्वारा उत्पन्न बहुमूल्य डाटा का इस्तेमाल करके अपना व अपने देश को भारी मात्रा में फायदा पहुँचा रही हैं जब कि जिन लोगों का यह धन उपयोग हो रहा है उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है।

भारत में डाटा विनियमन

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2018 में वित्तीय क्षेत्र की कम्पनियों को आदेश दिया था कि भुगतान प्रणाली (Payment System) से संबंधित सम्पूर्ण डाटा को भारत में ही संग्रहित करें ताकि एक बेहतर पर्यवेक्षण व विनियंत्रण स्थापित हो सके।
- दिसम्बर, 2018 में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) ने ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित एफडीआई पॉलिसी (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति) के संदर्भ में गाइडलाइन जारी की। इसमें उसने कहा कि ई-कॉसर्म के क्षेत्र में इन्वेन्टरी मॉडल में एफडीआई प्रतिबंधित होगा क्योंकि इससे भारत के परम्परागत छोटे-छोटे खुदरा व्यापारी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।
- हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें दस सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी व्यक्तिगत डाटा को विनियंत्रित कर सकती हैं।
- वहीं 2017 में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के 'अनुच्छेद 21' के अन्तर्गत माना और कहा कि सरकार को अपने नागरिकों की निजी जानकारियों अर्थात् निजता की रक्षा करनी चाहिए तभी सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी।
- हाल ही में डाटा सुरक्षा को लेकर 'बी.एन. श्री कृष्णा समिति' ने एक ड्राफ्ट बिल (पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2018) सरकार को सौंपा है, जिसमें डाटा के संरक्षण हेतु कई प्रावधान दिये गये हैं।

चुनौतियाँ

- भारत का उदाहरण लिया जाये तो यहाँ के नागरिकों द्वारा विभिन्न एप्स, वेब सर्विसेज और ई-कॉमर्स आदि के द्वारा जो भी डाटा एकत्रित किया जा रहा है, उसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर अपने पैरेंट देशों (यथा- अमेरिका इत्यादि) में स्थापित कर रखा है। मान लें

कि अगर भविष्य में यदि हमारे अमेरिका से संबंध बिगड़ गये तो वह इस विशाल डाटा का उपयोग भारत के खिलाफ कर सकता है।

- डाटा उपनिवेशवाद ने नए किस्म के पूँजीवाद को भी जन्म दिया है, जिसमें सम्पत्ति (Wealth) कुछ ही हाथों में सिमट रही है, जैसे- गूगल और अमेजन के हाथों ही सम्पत्ति का एकत्रीकरण हो रहा है। जबकि इसके विपरीत डाटा के वास्तविक उत्पन्नकर्ता (आम नागरिक) को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है।
- आम नागरिक के डाटा का इस्तेमाल पैसा कमाने या मुद्रा से जुड़े अन्य विनियमों के लिए किया जा रहा है।
- डाटा क्रांति के आने के बाद से ही डाटा को एक पूँजी के रूप में समझा जाने लगा और इससे पैसा बनाने की तरकीबें निकाली जाने लगीं।
- डाटा के इस्तेमाल से विभिन्न राष्ट्रों की संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर गम्भीर असर डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यूजर्स (उपयोगकर्ताओं) के डाटा को विश्लेषित करके अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और ब्रेक्जिट को प्रभावित किया। गौरतलब है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कम्पनी को फेसबुक ने उपयोगकर्ताओं का डाटा बेचा था।
- इसी प्रकार गूगल ने विशेष एल्गोरिथम (Algorithm) का इस्तेमाल करके यूरोपीय यूनियन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया था, जिस कारण ईयू ने गूगल पर जुर्माना भी लगाया था।

डाटा संरक्षण से संबंधित कानूनों की तुलना

देश	यूरोपीय संघ	ऑस्ट्रेलिया	कनाडा	भारत (प्रस्तावित पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2018)
संस्थाओं का कवरेज	निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए एक ही कानून।	निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए एक ही कानून।	निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के लिए अलग- अलग कानून।	निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए एक ही कानून।
संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा	वित्तीय डेटा, पासवर्ड आदि शामिल नहीं।	वित्तीय डेटा, पासवर्ड आदि शामिल नहीं।	अलग से परिभाषित नहीं, परिस्थिति के अनुसार डेटा की संवेदनशीलता का निर्धारण होता है।	वित्तीय डेटा, पासवर्ड आदि शामिल हैं।
देश की भौगोलिक सीमाओं में डाटा का संग्रहण				
डाटा का स्थानीय भण्डारण	अनिवार्य नहीं	विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ही अनिवार्य, जैसे स्वास्थ्य डाटा आदि।	अनिवार्य नहीं	डाटा की एक प्रतिलिपि का भण्डारण अनिवार्य, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डाटा का देश की सीमा के भीतर ही संग्रहण।
डाटा का सीमा पार (Cross Border) स्थानांतरण	अगर माँगकर्ता देश में डाटा की सुरक्षा के पर्याप्त कानूनी मानक हैं तो यूरोपीय कमीशन द्वारा अनुमति दी जाती है।	अनुमति दी जाती है यदि माँगकर्ता देश यह सुनिश्चित करें कि वह डाटा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करेगा।	अनुमति दी जाती है यदि माँगकर्ता देश यह सुनिश्चित करें कि वह डाटा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करेगा।	सरकार के अनुमोदन से अनुमति दी जाती है।
विनियमन और प्रवर्तन				
डाटा उल्लंघन की सूचना	नियामक निकाय जरूरी कदम उठाते हैं और प्रभावित लोगों को सूचित करना अनिवार्य नहीं है।	नियामक निकाय जरूरी कदम उठाते हैं और जो इससे प्रभावित हैं उन्हें सूचित करते हैं।	नियामक निकाय जरूरी कदम उठाते हैं और जो इससे प्रभावित हैं उन्हें सूचित करते हैं।	नियामक निकाय जरूरी कदम उठाते हैं और प्रभावित को सूचित करने या नहीं करने का निर्णय नियामक निकाय की स्वविवेक पर होता है।
आपराधिक दण्ड	नहीं	नहीं	नहीं	कुछ अपराधों के लिए पाँच वर्ष तक की कैद।

निष्कर्ष

चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में डिजिटल क्रांति का फायदा तभी सभी देशों को समान रूप से पहुँचेगा जब सभी का समान रूप से डाटा पर अधिकार होगा। गौरतलब है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति (विनिर्माण की क्रांति) का ब्रिटेन सहित कुछ ही देश इसलिए इसका फायदा उठा सके क्योंकि इसकी जरूरी चीजों पर उन्होंने नियंत्रण कर रखा था।

डाटा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार का दायित्व बनता है कि वह इसे देश में ही रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। आधार व डिजिटल होते बैंक खातों व इसी तरह की सुविधाओं से देश में लोगों का डाटा भी सरकार संचित कर रही है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि डाटा को लेकर लोगों में भरोसा बना रहे इसलिए उनका डाटा देश की भौगोलिक सीमा के भीतर ही रखने की कोशिश हो। आने वाले दिनों में डिजिटल दुनिया और आगे बढ़ेगी, ऐसे में डाटा का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

6. सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (Cinematograph Act, 1952) में संशोधन के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधेयक का उद्देश्य फिल्म पायरेसी को रोकना और इसमें गैर-अधिकृत कैमकॉर्डिंग (Camcording) और फिल्मों की कॉपी (Duplication of Films) बनाने के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करना है।

पृष्ठभूमि

फिल्म उद्योग की लम्बे समय से माँग रही है कि सरकार कैमकॉर्डिंग और पायरेसी रोकने के लिए कानून में संशोधन पर विचार करें। प्रधानमंत्री ने 10 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर घोषणा की थी कि कैमकॉर्डिंग और पायरेसी निषेध की व्यवस्था की जाएगी। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इसके पश्चात् तीन हफ्तों के अंदर ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए एक प्रस्ताव रखा था।

वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान समय में कई तरह की पायरेसी प्रचलन में हैं, परंतु सबसे ज्यादा पायरेसी मूवी, सॉफ्टवेयर और संगीत की हो रही हैं। दरअसल जब कोई सॉफ्टवेयर कम्पनी या मनोरंजन कम्पनी फिल्में या कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जो कंप्यूटर या मोबाइल या किसी भी डिजिटल नजरिये से किसी यूजर के काम आ सकता हो, तो वह एक उत्पाद होता है, जिसे बेचकर मुनाफा कमाया जाता है और ग्राहकों को सेवाएँ प्राप्त होती हैं। परंतु किसी भी डिजिटल उत्पाद यथा मूवी, सॉफ्टवेयर और गाने आदि को गैर कानूनी ढंग से कॉपी करके उपलब्ध करवा देना ही पायरेसी कहलाता है। फिर चाहे वे फिल्में हों या कोई सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर में चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी। वह उस कम्पनी का कॉपीराइट मैटेरियल होता है, जिसका मालिकाना हक संबंधित कम्पनी का होता है। उसका इस्तेमाल कम्पनी की शर्तों से बँधा होता है तथा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए होता है। उसे कॉपी करके आगे वितरित करना या उसे कॉपी करके बेचना गैर कानूनी है।

लेकिन फिर भी मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोग गैर कानूनी ढंग से किसी कॉपीराइट मैटेरियल को कॉपी करते हैं और उसे सस्ते दामों या इन्टरनेट पर फ्री में उपलब्ध करवा देते हैं जिससे कम्पनी को (जिसका वह उत्पाद है) वित्तीय हानि होती है। यही फिल्मों के केस में भी होता है। सिनेमा घरों में फिल्मों की रिकॉर्डिंग करके, फिल्म की कॉपी को गैर कानूनी ढंग से वितरित कर दिया जाता है। यही वजह है कि एक फिल्म की कॉपी आपको सस्ते में मिल जाती है, जिसकी वजह से फिल्म उद्योग को काफी नुकसान होता है। संगीत उद्योग के साथ भी यही होता है, जब आप इन्टरनेट पर किसी वेबसाइट पर जाकर बिना भुगतान किये कोई गाना डाउनलोड करते हैं तो भी आप ऑनलाइन पायरेसी के सिस्टम का ही एक हिस्सा होते हैं।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो यह ऑनलाइन फिल्म पायरेसी का एक बड़ा अड्डा है। यहाँ गैर कानूनी डाउनलोडिंग करने में दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु सबसे आगे हैं। भारत में मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित इंटरनेट पायरेसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ब्रॉडबैंड नेटवर्क सब्सक्राइबर की संख्या पर गौर करें तो इस नेटवर्क पर सबसे ज्यादा फिल्म पायरेसी होती हैं। फिल्म डाउनलोडिंग में क्रमशः अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के बाद भारत चौथे स्थान पर है। वर्ष 2018 में अप्रैल से सितंबर तक भारत गैर कानूनी पी2पी एक्टिविटी में विश्व में दसवें स्थान पर रहा है। इंटरनेट कंपनी एनविजनल की इंटरनेट पायरेसी लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऑनलाइन पायरेसी बिट्टॉरेंट व साइबर लॉकर और वेब आधारित फाइल होस्ट रैपिड शेयर या हॉटफाइल जैसे फाइल शेयरिंग नेटवर्क से होता है। 2008 में आई एर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार, जालसाजी और पायरेसी से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को 16,000 करोड़ रुपये का नुकसान प्रति वर्ष होता है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों

- फिल्म उद्योग से जुड़े लोग साहित्यिक चोरी और पायरेसी के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं।
- पूरे देश में टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क के विस्तार से मीडिया और मनोरंजन जगत में कई परिवर्तन और नई डिजिटल तकनीक का आगमन हुआ है। विशेषकर इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्मों के प्रदर्शन से पायरेसी के खतरे बढ़े हैं, जिससे फिल्म उद्योग और सरकार को राजस्व की अत्यधिक हानि हो रही है।
- गौरतलब है कि चलचित्र अधिनियम और नियमों की समीक्षा करने के लिये मुदगल समिति (2013) तथा श्याम बेनेगल समिति (2016) का गठन भी किया गया था।

सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक के मुख्य तथ्य

- गैर-अधिकृत रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए नई धारा 6एए जुड़ेगा।
- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6ए के बाद यह धारा जोड़ी जाएगी।
- **धारा 6एएः** इस धारा के अनुसार अन्य कोई लागू कानून के बावजूद किसी व्यक्ति को लेखक की लिखित अनुमति के बिना किसी ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड उपकरण का उपयोग करके किसी फिल्म या उसके किसी हिस्से को प्रसारित करने या प्रसारित करने का प्रयास करने या प्रसारित करने में सहायता पहुँचाने की अनुमति नहीं होगी।
- गौरतलब है कि यहाँ लेखक का अर्थ सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1957 की धारा 2 उपधारा-डी (D) में दी गई व्याख्या के समान होगा।
- **धारा-7** में संशोधन का उद्देश्य धारा-6एए के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करना है। वहीं मुख्य अधिनियम की धारा-7 में उपधारा-1 के बाद निम्न उपधारा-1ए जोड़ी जाएगी।
- यदि कोई व्यक्ति धारा-6एए के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक का कारावास या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सजा दी जा सकती है।

विभिन्न समितियाँ

मुदगल समिति

- चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत प्रमाणीकरण मुद्दों पर विचार करने हेतु पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य

न्यायाधीश मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया।

- समिति ने अपनी रिपोर्ट में अश्लीलता और सांप्रदायिक वैमनस्य, महिलाओं के चित्रण और सलाहकार-मंडल जैसे मुद्दों के संबंध में दिशा-निर्देश, वर्गीकरण, फिल्मों की पायरेसी, अपीलीय पंचाट की न्यायसीमा तथा चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों की समीक्षा पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।

श्याम बेनेगल समिति

- समिति ने फिल्म प्रमाणन के लिये विश्वभर में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के लाभ के लिये प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के साथ-साथ जन अनुकूल और निष्पक्ष प्रभावी ढाँचे के निर्माण की सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।

लाभ

- प्रस्तावित संशोधनों से उद्योग के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।
- फिल्म क्षेत्र व संगीत क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा।
- भारत के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी और पायरेसी तथा ऑनलाइन विषय-वस्तु की कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में राहत मिल सकेगी।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

12 मई, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति' (IPR) को स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस नीति से सरकार, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शिक्षा संस्थानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों को शक्ति संपन्न किया जाएगा ताकि वे अभिनव तथा रचनात्मक वातावरण का विकास कर सकें। इस नीति के तहत इस बात पर बल दिया गया है कि भारत बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों को मानता है एवं बौद्धिक संपदा की सुरक्षा हेतु यहाँ प्रशासनिक एवं न्यायिक ढाँचा विद्यमान है। इसके अंतर्गत, दोहा विकास एजेंडा एवं बौद्धिक संपदा संबंधी समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के निम्नलिखित सात लक्ष्य हैं-

- समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना।
- मजबूत एवं प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना, ताकि अधिकृत व्यक्तियों एवं बृहद लोकहित के मध्य संतुलन कायम हो सके।
- सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक एवं मजबूत बनाना।
- व्यावसायीकरण के जरिये बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना।
- मानव संसाधनों, संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना।

उल्लेखनीय है कि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के भावी विकास, कार्यान्वयन, दिशा-निर्देश और समन्वयन करने वाला नोडल विभाग होगा। ध्यातव्य है कि 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 'रचनात्मक भारत: अभिनव भारत' (Creative India : Innovative India) के लिए कार्य करेगी।

महत्त्व

- भारत में बौद्धिक संपदा से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान एवं जैव विविधता को प्रोत्साहन मिलता है।
- भारत में विकास के लिए ज्ञान मुख्य कारक है।
- भारत में शक्तिशाली, जीवंत एवं संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली से रचनात्मकता तथा नवाचार को सहायता मिलती है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलता है और सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- इसके माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी महत्त्व भी जुड़े हुए हैं।

चुनौतियाँ

पायरेसी की समस्या वर्तमान में विकराल रूप धारण कर रही है, जिसको लेकर समय-समय पर पहले भी कई पहलें की गयी, इसके बावजूद इसकी उपलब्धियाँ नाकाफी हैं। जिसके मूल में इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियो को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- पायरेसी के असर और इससे संबंधित तमाम आँकड़े सामने होने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल न किया जाना।
- उल्लेखनीय है कि करीब साढ़े तीन साल पहले कॉपीराइट कानून में संशोधन करके गीतकार, संगीतकार, संवाद और पटकथा लेखक के स्वत्वाधिकार के संरक्षण के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया था। लेकिन सच यह है कि चूँकि नकली संगीत का कारोबार करने वाली कंपनियों के बारे में एक धुंधली स्थिति छोड़ दी गई थी, इसलिए इस कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाना मुमकिन नहीं हो सका है। यह भी सच्चाई है कि पुराने गीतों को दूसरे किसी स्वर में रिकॉर्ड करके या उसके संगीत में मामूली फेरबदल कर धड़ल्ले से कैसेट, सीडी आदि बेचे जाते रहे हैं। इस तरह की सीडी तैयार करने से पहले आमतौर पर मूल रचना के स्वत्वाधिकारियों से इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा जाता।
- आज स्थिति और ज्यादा जटिल हो चुकी है, जिसमें इंटरनेट के जरिये पायरेसी की समस्या ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है। इंटरनेट पर ऐसी सैकड़ों वेबसाइटें हैं जहाँ से किसी भी गीत-संगीत या फिल्म की नकली प्रति डाउनलोड कर ली जाती है या फिर उसकी फाइल लोगों को कम कीमत पर बेची जाती है।
- सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म की रिकॉर्डिंग पर नजर रखने के लिए सुरक्षाकर्मी कम हैं। इससे साफ नजर आता है कि सिनेमा घरों का मुख्य लक्ष्य खान-पान की चीजें बेचकर ढेर सारा मुनाफा कमाना है, न कि पायरेसी रोकना।

आगे की राह

भारत में मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भविष्य में काफी फलने-फूलने वाला क्षेत्र है। यह प्रति वर्ष 11 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करता है और इसमें प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि होती है। अगर पायरेसी को रोक दिया जाए तो इसमें भारी मुनाफा होने की संभावना है, इस

संदर्भ में निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है, जैसे-

- सिनेमा हॉल में कैमरा एवं अन्य कैप्चर डिवाइसेज ले जाने से संबंधित नियमों का कठोरता से पालन किया जाय। साथ ही ऐसे उपाय किए जाएँ जिनसे पायरेसी का धंधा महँगा हो जाए, इससे खुद-ब-खुद पाइरेटेड सीडी के दाम बढ़ेंगे और खरीददार हतोत्साहित होंगे।
- फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान सिनेमा घरों में पायरेसी रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से थिएटर एवं मल्टीप्लेक्स संचालकों पर होनी चाहिए।
- इन शर्तों को थिएटरों और मल्टीप्लेक्सों को लाइसेंस दिए जाने के समय एग्रीमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा छोटे कस्बों में लेखकों, वितरकों, निर्माताओं एवं थिएटर-मल्टीप्लेक्स संचालकों को एकजुट करके इस समस्या का समाधान ढूँढना चाहिए। साथ ही पारंपरिक थिएटरों को डिजिटल थिएटरों में बदलने एवं सही डीवीडी जारी करने की भी जरूरत है।
- ब्रिटेन ने फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए हाल ही में एक अनोखा कदम उठाया है, जो काफी दिलचस्प है। ब्रिटेन के सिनेमाघरों में कर्मचारी 'नाइट विजन गॉगल' पहनकर फिल्म के दर्शकों पर नजर रखते हैं। वे अपने सिनेमाघर के कर्मचारियों को रिकॉर्डिंग डिवाइस ढूँढने की अलग से ट्रेनिंग भी देते हैं। इसी तत्परता का नतीजा है कि ब्रिटेन के सिनेमाघरों में होने वाली गैर कानूनी फिल्म रिकॉर्डिंग में पिछले कुछ समय से अपेक्षाकृत कमी आई है। हमारे सिनेमाघरों को भी चाहिए कि वे भी पायरेसी रोकने के लिए ब्रिटेन की तरह उपायों को अमल में लाएँ।
- भारत में कॉपीराइट सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

7. भारत में अग्नि सुरक्षा मानक एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में दिल्ली के करोलबाग इलाके के एक होटल और पश्चिमी दिल्ली के नारायणा में कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग से एक बार फिर जाहिर हुआ है कि शहरों के व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर किस प्रकार सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही बरती जाती है। करोलबाग के जिस होटल में आग लगी, उसका कारण बिजली के तारों का गरम होकर जल उठना बताया जा रहा है।

परिचय

पिछले कई वर्षों में भारत के अनेक शहरों में आग लगने की घटनाएँ हुई हैं। 2018 में मुम्बई स्थित कामगार अस्पताल में आग लगने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2016 में भुवनेश्वर के एक अस्पताल में आग लगने से 19 लोग बुरी तरह से झुलस गये। इस प्रकार इन सभी घटनाओं से इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि आग के प्रति हमारी सुरक्षा कितनी बौनी साबित होती है।

ऐसा नहीं है कि आग से निपटने के लिए भारत में सुरक्षा मानक नहीं हैं। भारत का राष्ट्रीय भवन कोड 2005 एक दस्तावेज है जो आग से विभिन्न सुरक्षा मानकों के बारे में व्यापक जानकारी देता है, जिन्हें भवनों के निर्माण के दौरान पालन करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय भवन कोड ने आग और जीवन सुरक्षा से संबंधित कुछ नियम तय किये हैं, जो बिल्डिंग डेवलपर्स द्वारा उनका पालन करना चाहिए। कोड के मुताबिक हर इमारत का निर्माण, रखरखाव और संचालन इस प्रकार किया जाए कि, आग लगने के दौरान धुएँ की निकासी संभव हो, साथ ही अलार्म सुविधाएँ भी होनी चाहिए।

अग्नि सुरक्षा प्रणाली

देश में अग्नि सुरक्षा संगठनों की अगुआई सरकारी अधिकारियों, स्थानीय सरकार व निजी उद्यमी कर रहे हैं, अग्नि सुरक्षा प्रणाली के बुनियादी कार्य निम्न हैं-

- आग (उपकरण, सुरक्षात्मक उपकरण, संचार, अग्निरोधी इत्यादि) के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी के लिए डिजाइन किए गए विशेष तकनीकी का उत्पादन करना।
- विचाराधीन क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करना।
- स्वैच्छिक अग्निशामक स्वयंसेवकों की सहायता करना।
- अग्नि सुरक्षा पर्यवेक्षण का कार्यान्वयन करना।
- एक अग्निशमन व्यवस्था की स्थापना करना।
- आग का लेखांकन करना।

खतरा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजना

सरकार द्वारा अग्नि सुरक्षा के लिए खतरा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजना की शुरूआत की गई है, जो किसी भी क्षेत्र में फायर सर्विस सेटअप मुख्य रूप से जनसंख्या, प्रतिक्रिया समय और जोखिम खतरे के विश्लेषण पर आधारित है। विदित है कि इसमें, उपकरणों का एक निश्चित सेट होता है।

भारत का वित्तीय और सुरक्षा संघ (FSAI)

FSAI एक गैर-लाभकारी संगठन है जो 2002 से फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिल्डिंग ऑटोमेशन, लॉस प्रिवेंशन एंड रिस्क मैनेजमेंट डोमेन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित रहने की भावना को बढ़ावा देना और हर समय सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति सक्रिय करना।
- अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- अग्नि सुरक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा और जागरूकता विकसित करना।
- अपने सदस्यों के बीच उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना।

वर्तमान में बढ़ते खतरों के आधार पर इस योजना की निरंतर समीक्षा की आवश्यकता है। साथ ही इसे गतिशील बनाने की भी आवश्यकता है। शमन योजना में ऐसी सभी इमारतों और स्थापनाओं, उन प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के नाम, उनका पता और फोन नंबर आदि का विवरण होना चाहिए। विवरण में अग्निशमन उपकरण और उनके पास मौजूद सुविधाओं की सूची भी होनी चाहिए। योजना में विशेष रूप से स्कूलों में आग से लड़ने की सुविधाओं और उपकरणों के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता और निरीक्षण के लिए गतिविधियों का एक कैलेंडर शामिल होना चाहिए। व्यस्त शॉपिंग

मॉल, ऊँची इमारतों और आवासीय समूहों को समय-समय पर अग्नि दुर्घटनाओं की मॉक ड्रिल करना चाहिए।

फायर स्टेशन और संबंधित उपकरण

13 वें वित्त आयोग द्वारा यह बात सुझायी गयी थी कि फायर स्टेशन इतने सुसज्जित और मानवयुक्त होने चाहिए कि सभी उच्च खतरों और निकट निर्मित क्षेत्रों के लिए, अधिकतम 3 मिनट की प्रतिक्रिया समय और अन्य सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिक्रिया समय पाँच मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि फायर स्टेशन उपरोक्त मानदंड के अनुसार उपयुक्त स्थान पर नहीं बनाया जा सकता है, तो प्रत्येक फायर स्टेशन में उपयुक्त रूप से सुसज्जित फायर पोस्ट की संख्या होनी चाहिए, जो समय पर प्रतिक्रिया दे सके। इस संदर्भ में आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- आग से बचाव और बचाव के उपायों के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना।
- स्थानीय परिषदों/निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ इलाकों/मोहल्लों/स्कूलों में छह महीने में एक बार अग्निशमन कार्यशाला का आयोजन करना।
- कई कार्यालय/ऊँची इमारतें/मंदिर और धार्मिक स्थान हैं जहाँ अग्निशमन उपकरण स्थापित हैं लेकिन शायद ही किसी व्यक्ति को इनका प्रयोग करने का ज्ञान हो।
- रख-रखाव में कमी से उपकरण खराब हो जाते हैं, जिन स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाया जाता है वे संभावित अग्नि खतरे हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग को समय-समय पर उपर्युक्त स्थापनाओं का दौरा करना चाहिए।

चुनौतियाँ

भारत में अग्नि सेवाएँ नगरपालिकाओं के विषय-वस्तु में शामिल हैं। वर्तमान में संबंधित राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अग्नि निवारण और अग्निशमन सेवाओं का आयोजन किया जाता है, लेकिन इनके पास निम्न चुनौतियाँ हैं, जिसे निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

फायर स्टेशन की शहर से दूरीः किसी भी अग्निशमन सेवा की परिचालन क्षमता पूरे क्षेत्र और आबादी के संबंध में फायर स्टेशनों के स्थान पर काफी हद तक निर्भर करती है, जिसे फायर स्टेशन द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। यह देखा गया है कि फायर स्टेशन, को स्थापित करते समय इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि वे शहर से कितने समीप हैं। कई कस्बों में एक एकल फायर स्टेशन है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित होते हैं, जिसके कारण अग्निशमन दस्ता घटनास्थल पर समय से नहीं पहुँच पाता है।

फायर स्टाफ की कमीः फायर स्टेशन विभाग विगत कई वर्षो से स्टाफ और संसाधन की कमी से जूझ रहा है। स्टाफ की कमी होने के कारण एक सिपाही को दो से तीन सिपाहियों का काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मंडल में बैठे अफसरों को स्टाफ और संसाधन कम होने की जानकारी नहीं है, लेकिन स्थितियाँ जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में अलग-अलग स्थानों पर लगने वाली आग पर काबू पाना विभागीय अफसरों के लिए टेढ़ी खीर बन जाती है।

हाइड्रेंट की सुविधा का अभावः बड़े शहरों में हाइड्रेंट तक की सुविधा नहीं है। इसके अलावा ऐसे प्वाइंट भी नहीं बनाए गए हैं, जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आपातकाल में लाइन जोड़कर पानी ले सकें। दुबारा पानी लेने के लिए उन्हें अग्निशमन मुख्यालय ही आना पड़ता है।

हाइड्रोलिक सीढ़ियों की कमीः ऊँची इमारतों में लगी आग को बुझाने के लिए हाइड्रोलिक सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन शहरों में कई बार हाइड्रोलिक सीढ़ियों की उपलब्धता जरूरत के मुताबिक नहीं हो पाती है। मॉल, शॉपिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान आदि स्थानों में आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। सीढ़ियों के अभाव में जान और माल का खतरा बढ़ जाता है।

सिर्फ खानापूर्ति बनती एनओसीः शहरों में खुलने वाले शॉपिंग माल, शिक्षण संस्थान, होटल या अन्य सरकारी, गैर सरकारी वाणिज्यिक भवनों के लिए नगर निगम विभाग द्वारा एनओसी जारी की जाती है, लेकिन कई बार एनओसी जारी करने के नाम पर सिर्फ वसूली की जाती है जिनमें स्थलीय निरीक्षण न के बराबर होता है। कई संस्थानों की एनओसी का नवीनीकरण भी नहीं कराया जाता है। इसके अलावा शहरों में सुरक्षा मानकों का कोई पालन नहीं किया जाता है।

अतिक्रमण बनता है समस्याः फायर कर्मियों को सबसे अधिक समस्या का सामना गली-कूचों में लगी आग को बुझाने के लिए करना पड़ता है क्योंकि शहर की सड़कें और गलियाँ पूरी तरह अतिक्रमण के साये में हैं। ऐसे में दमकल की गाड़ियाँ उस स्थान पर नहीं पहुँच पाती हैं, जहां से आग की लपटें उठती हैं। आग बुझाने के लिए कम से कम चार प्रेशर मशीनों से युक्त गाड़ियों की आवश्यकता होती है, जो नगरों व शहरों के गलियों तक पहुँच सके, किन्तु इनके अभाव में देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो जाता है।

सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में नहीं हैं जरूरी इंतजामः अधिकांश सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में अग्निशमन यंत्र नहीं लगे हैं। इन संस्थानों में यदि गलती से आग लग जाये, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। भवन की सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा मापदंडों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। नियमानुकूल सभी सार्वजनिक संस्थानों व बहुमंजिला निजी भवनों में भी अग्निशमन यंत्र का होना जरूरी है। किन्तु इनकी अनदेखी की जाती है।

हालाँकि इसके लिए कड़े नियम कानून भी बनाये गये हैं। किन्तु अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर जिले के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय चल रहे हैं।

इसके अलावा इस पर प्रशासन का कोई विशेष ध्यान नहीं है। प्रशासन की नाक तले संस्थान के प्रबंधक नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों को किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। कई संस्थानों में तो केवल दिखावे के लिए अग्निशमन यंत्र लगाये गये हैं, पर कई वर्षो से उसका रिफिलिंग भी नहीं कराया गया है।

जागरूकता का अभावः सरकारी कार्यालयों एवं बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन यंत्र लगाने का प्रावधान है। इसके लिए प्रशासन समय-समय पर लोगों को जागरूक करने का काम भी करता है। वहीं अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग से बचने के लिए उपाय भी बताते हैं इसके बावजूद भी लोग अग्निशमन यंत्र लगाने से परहेज करते हैं।

वातानुकूलित कमरों का चलनः मॉल व्यावसायिक केन्द्रों, होटलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों का निर्माण वातानुकूलित प्रकार से किया जा रहा है। ज्यादातर इमारतें इस तरह बनाई जा रही हैं जिनमें बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर जाने तक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। ये बिल्डिंग चारों तरफ से काँच से बंद होते हैं। वातानुकूलित इमारत होने के कारण, जब उसमें आग लगती है तो धुआँ अन्दर ही घुमड़ता रहता है, जिससे दम घुटने से कई लोगों की मौत हो जाती है।

जनसंख्या घनत्वः जनसंख्या विस्फोट के कारण सारी सुविधाएँ सिकुड़ने लगी हैं। आये

दिन ट्रैफिक जाम से घटनास्थल पर अग्निशमन दस्ते को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग सायरन की आवाज सुनकर भी अग्निशमन वाहन को तरजीह नहीं देते हैं जिससे लगी आग से काफी नुकसान होता है।

बचाव के उपाय

- अग्नि सुरक्षा अचानक लगने वाली आग से सुरक्षा के उपायों की जानकारी देती है और उससे होने वाले खतरों को कम करती हैं।
- अग्नि से सुरक्षा के लिए बहुत-से तरीके अपनाकर हम जान-माल की होने वाली हानि से बच सकते हैं।
- आग लगने की सूचना कम से कम शब्दों में दी जानी चाहिए।
- सभी स्थानों पर फायर अलार्म लगे होने चाहिए जो कि आग लगते ही बजने लगें और उससे सभी लोग चौकन्ने हो जाएँ।
- आग लगने पर ज्वलनशील पदार्थ को तुरंत आग से दूर करना चाहिए अन्यथा आग फैल सकती है और हानि ज्यादा हो सकती है।
- आग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करके भी रोका जा सकता है। आग लगते ही आग को पानी से बुझाना चाहिए लेकिन उससे पहले अग्निशमक विभाग को सूचित कर देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल से लगी आग को रेत से बुझाया जाना चाहिए।
- आग यदि कपड़ों में लग जाए तो भागें नहीं क्योंकि उससे आग बढ़ जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति में जमीन पर लेटकर उलट-पुलट करें। आग लगने पर कंबल ओढ़ कर बाहर आएँ।
- अग्नि सुरक्षा हमें सुरक्षा के विभिन्न उपाय बताती है इसलिए इसकी जानकारी हर बच्चे को उनके माता-पिता और शिक्षकों के द्वारा दी जानी चाहिए। हम सबको भी आग के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए बल्कि खुद भी सावधान रहना चाहिए और दूसरों को भी सचेत करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने साथ-साथ दूसरे बहुत सारे लोगों की भी जान बचा सकते हैं। साथ ही होने वाले अन्य नुकसानों से भी बचा जा सकता है।

आगे की राह

आग के खतरों का जवाब देने के लिए कुशल और अच्छी तरह से सुसज्जित अग्नि सेवाएँ आवश्यक हैं।

इसके लिए अग्निशमन विभाग को तुरंत सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों में अग्निशमन, भूकंप आदि स्थितियों से निपटने संबंधी इंतजामों की नियमित जाँच होनी चाहिए। उसी के अनुसार उनका लाइसेंस भी नवीकृत किया जाना चाहिए। आजकल सार्वजनिक भवनों में आग की स्थिति से निपटने के लिए स्वचालित अग्निशमन संयंत्र लगाना अनिवार्य है।

जब तक सभी राज्यों में एक सचेत और योजनाबद्ध प्रयास नहीं किया जाता है, देश की अग्निशमन क्षमताओं में सुधार होने की संभावना नहीं है। संपत्ति की भारी हानि के साथ-साथ मौतों की एक अस्वीकार्य संख्या घटित होती रहेगी। इस तरह की असामयिक मौतों और संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए एक तत्काल नीति आवश्यकता है, ताकि भारत में अग्निशमन सेवाओं को फिर से चालू करने की दिशा में एक योजनाबद्ध और निर्धारित कदम उठाया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आपदा और आपदा प्रबंधन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

बालिकाओं और महिलाओं का विज्ञान में निवेश

प्र. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में स्टेम (STEM) क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के कम भागीदारी होने के प्रमुख कारणों की चर्चा करें तथा स्टेम क्षेत्र में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएँ।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- कुछ महत्वपूर्ण महिला वैज्ञानिक
- वर्तमान में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति
- स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण
- महिलाओं की स्टेम में भागीदारी के लिए प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वूमन एंड गर्ल्स इन साइंस दिवस मनाया गया। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि टिकाऊ विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में बालिकाओं एवं महिलाओं को और भागीदारी करने की जरूरत है।

परिचय

- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस' की स्थापना वर्ष 2015 में की गयी थी जिसका मकसद लड़कियों एवं महिलाओं की विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित (Science, Technology, Engineering and Maths STEM) के क्षेत्र में भूमिका का विश्लेषण करना था। इस प्रकार इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को समाज के सामने लाने के साथ-साथ महिलाओं का स्टेम क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।

कुछ महत्वपूर्ण महिला वैज्ञानिक

- **जानकी अम्मालः** 4 नवंबर, 1897 को केरल में जन्मी जानकी अम्माल वनस्पति शास्त्र की वैज्ञानिक थीं।
- **आनन्दीबाई जोशीः** आनन्दीबाई जोशी भारत की पहली महिला थीं जिन्होंने विदेश में डॉक्टर की डिग्री हासिल की।
- **असीमा चटर्जीः** असीमा चटर्जी एक रसायन वैज्ञानिक थीं। इन्होंने कार्बनिक रसायन और फाइटोमेडिसिन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया।
- **कल्पना चावलाः** भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थीं।
- **अदा योनाथः** इन्होंने राइबोसोम्स पर काम किया और वर्ष 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- पोलैण्ड की मैडम मैरी क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थीं, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने पहली मोबाइल एक्स-रे मशीन का आविष्कार किया।

वर्तमान में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

- यद्यपि पुरुषों की तुलना में विश्व में महिला स्नातकों की संख्या भी ज्यादा है लेकिन स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की पहुँच बहुत कम है।
- यूनेस्को के अनुसार विज्ञान अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति दक्षिण और पश्चिम एशिया में 19 प्रतिशत की निम्न दर और मध्य-एशिया में 48 प्रतिशत की उच्च दर पायी गई है। जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह दर 32% है।

स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण

- लैंगिक असमानताएँ और प्रोत्साहन देने वाले वातावरण का अभाव।
- गणित और भौतिकी में रिसर्च कर रही महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले पैसे कम मिलते हैं।

महिलाओं की स्टेम में भागीदारी के लिए प्रयास

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने महिला वैज्ञानिक योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य विज्ञान की मुख्यधारा से जुड़ने और वैज्ञानिक के रूप में काम करने की इच्छुक 30 से 50 वर्ष के उम्र वर्ग की महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए अवसर उपलब्ध कराना है।
- महिलाओं के लिए काम करने वाली यूएन की महिला संस्था (UN Women) और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने साझा बयान जारी कर बताया है कि किन कदमों के तहत विज्ञान में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं।

आगे की राह

- विज्ञान में पुरुषों का बोलबाला कोई नई बात नहीं, लेकिन स्टेम एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर अगली आधी सदी में हम ये तस्वीर बदल सकते हैं।
- लोगों को चुनने और आगे बढ़ाने में पारदर्शिता हो। महिला रिसर्चर को मेंटरिंग और सहयोग मिले उनके रिसर्च के लिए अगर वक्त की पाबंदी हटानी पड़े तो वो भी हटाई जाए।

- यूनिवर्सिटी और लैब के आस-पास बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाने की वजह से महिलाएँ अब बच्चों की फिक्र छोड़कर रिसर्च पर ध्यान दे पा रही हैं। भारत में भी इस तरह के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ■

अवैध जमा योजनाओं के खतरे

प्र. चिटफंड स्कीम/पोंजी स्कीम से आप क्या समझते हैं? ऐसी स्कीमों में लोगों के फँसने के कारणों का उल्लेख करते हुए, इससे बचने के उपायों को सुझाएँ।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- चिटफंड क्या है
- चिटफंड के प्रकार
- ऐसी कंपनियों में लोगों के फँसने के कारण
- आरबीआई और सेबी के दिशा-निर्देश
- द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल, 2018
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कारगर कार्रवाई के उद्देश्य से 'अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018' (Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018) को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है।

चिटफंड क्या है

- चिटफंड को एक वित्तीय साधन के रूप में देखा जाता है। जहाँ तक इसकी परिभाषा की बात है तो यह अलग-अलग लोगों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोग इसे पैसा डिपोजिट करने के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग इसे बचत एवं निवेश स्कीम के तौर पर देखते हैं, वहीं कुछ लोग इसे लोन या क्रेडिट स्कीम के तौर पर भी देखते हैं। चिटफंड को दूसरे शब्दों में एक वित्तीय समझौता कहा जाता है। चिटफंड एक्ट-1982 के मुताबिक चिटफंड स्कीम का मतलब होता है कि कोई शख्स या लोगों का समूह एक साथ समझौता करे।

चिटफंड के प्रकार

- **राज्य द्वारा संचालित चिटफंड:** इस तरह के फंड राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं और इस प्रकार के फंड पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं।
- **प्राइवेट रजिस्टर चिटफंड:** भारत में बहुत-सी प्राइवेट तौर पर रजिस्टर चिटफंड कंपनियाँ हैं।
- **अपंजीकृत चिटफंड:** इस प्रकार के चिटफंड अवैध रूप से चलाए जाते हैं। इस प्रकार के फंड पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों इत्यादि समूहों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

ऐसी कंपनियों में लोगों के फँसने के कारण

- चिटफंड कंपनियाँ इस काम को मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) में तब्दील कर देती हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनियाँ मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों से उनकी जमा पूंजी जमा करवाती हैं साथ ही और लोगों को भी जोड़ने के लिए कहती हैं।
- बाजार में फैले उनके एजेंट साल, महीने या फिर दिनों में जमा पैसे पर दोगुने या तिगुने मुनाफे का लालच देते हैं। ललचाऊ और लुभावनी योजनाओं के जरिए कम समय में बहुत अधिक मुनाफा देने का दावा किया जाता है।

आरबीआई और सेबी के दिशा-निर्देश

- रिजर्व बैंक अधिनियम (आरबीआई एक्ट, 1934) की 'धारा 45-1ए' के मुताबिक कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बिना आरबीआई के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अपने कारोबार की शुरूआत नहीं कर सकती है।

द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल, 2018

- वर्तमान में केंद्र सरकार ने 'द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल, 2018' में आधिकारिक संशोधनों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है।
- 'द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल, 2018' के कानून का रूप लेने के बाद जो भी जमा योजनाएँ इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं होंगी, वे अवैध हो जाएंगी।

आगे की राह

- चिटफंड में निवेश करने से पहले यह अवश्य जाँच लें कि यह कंपनी पंजीकृत है या नहीं। जिन राज्यों में चिटफंड संचालित किया जाता है, उस राज्य के चिटफंड रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाना चाहिए। निवेशक को चिटफंड के बारे में राज्य चिटफंड रजिस्ट्रार से यह भी पता करना चाहिए कि इन कंपनियों के खिलाफ कोर्ट में कोई शिकायत तो दर्ज नहीं की गई है। ■

भारत में सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता

प्र. सिविल सेवकों के लिए बुनियादी मूल्यों की चर्चा करते हुए उनके मार्ग में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- सिविल सेवक के बुनियादी मूल्य
- भारत में सिविल सेवकों से संबंधित आचरण नियम
- चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में पश्चिम बंगाल में चल रही राजनीतिक हलचलों के बीच केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को कहा है।

परिचय

- भारत में सिविल सेवा के अधिकारी जनता के साथ-साथ सरकार के प्रति एक निश्चित जिम्मेदारी रखते हैं, जो उनके पद के साथ आती है। साथ ही उन्हें आधिकारिक जिम्मेदारी के साथ-साथ निजी क्षमता से एक निश्चित प्रकार के आचरण का पालन करना होता है।

सिविल सेवक के बुनियादी मूल्य

- **सत्यनिष्ठा:** सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा का होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि भारतीय समाज के मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है।
- **भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी:** सिविल सेवा के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे भाषा, जाति, धर्म, लिंग आदि भेदभावों से ऊपर उठकर व्यक्ति को समानता के रूप में देखें।
- **निष्पक्षता:** वर्तमान संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी भेदभाव के पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का उपयोग करें।
- **सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव:** वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रायः कुछ अभ्यर्थी सिविल सेवा में निहित शक्ति से आकर्षित होते हैं। उन्हें वस्तुतः पावर हंगर (Power Hunger) कहा जाता है।
- **कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना:** शासन का कार्य सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए नीतियाँ बनाने का है, लेकिन इन नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासन का दायित्व है।

भारत में सिविल सेवकों से संबंधित आचरण नियम

- लोक सेवकों को हमेशा अपने कर्त्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए।
- उन्हें किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए।

चुनौतियाँ

- देश में नौकरशाहों द्वारा जब राजनीति में आने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं माना जाता है।
- भारत जैसे देशों में राजनीतिज्ञों के साथ नौकरशाहों को काम करने के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन महत्त्वाकांक्षी अधिकारियों की एक बड़ी समस्या यह हो सकती है कि उनका काम नेताओं की तरह पर्दे पर नहीं आ पाता जिससे वे अपने आप को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं।

निष्कर्ष

- सिविल सेवा भारत की सर्वोच्च सेवा होने के कारण इससे जुड़ी प्रतिष्ठा व विविध चुनौतियाँ इस सेवा को और अधिक आकर्षक और सुरक्षित बनाती हैं। सिविल सेवकों ने प्रशासन में निरंतरता और परिवर्तन सुनिश्चित करने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन अत्यंत सावधानी, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ करेगा। हालाँकि कई बार यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि वह बिना किसी दबाव या भ्रष्टाचार के अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाएगा। ■

अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्त्व

प्र. भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश के महत्त्व की चर्चा करते हुए बताएँ कि चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- विवाद
- भारत के लिए अरुणाचल का महत्त्व
- नत्थी वीजा मामला
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और सेला टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला सेला दर्रे के पास रखी।
- इस अवसर पर चीन ने कहा है कि उसने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग नहीं माना है, जबकि उसके जवाब में भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है।

परिचय

- अरुणाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह सेवन-सिस्टर्स में शामिल है। 'अरुणाचल' का हिन्दी में शाब्दिक अर्थ है 'उगते सूर्य की भूमि' (अरुण+अचल)।

विवाद

- चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है लेकिन चीन इसे खारिज करता है। चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है।
- ज्ञातव्य है कि शुरू में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर चीन दावा करता था। यहाँ भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है।

भारत के लिए अरुणाचल का महत्त्व

- चूंकि अरुणाचल प्रदेश की ऊँचाई चीनी क्षेत्र से अधिक है इसलिए इस क्षेत्र से भारत के मिसाइल रेंज के क्षेत्र में चीन का महत्वपूर्ण क्षेत्र (Heart Land) आता है।
- भारत अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से किसी भी चीनी हमले का माकूल जवाब देने में सक्षम है।
- चीन जिस तरह से इस इलाके की प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए इसके इर्दगिर्द आधारभूत ढाँचा तैयार कर रहा है, इससे यह संभावना जतायी जा रही है कि भविष्य में वह इसका उपयोग सैन्य दृष्टिकोण के लिए भी कर सकता है।

नत्थी वीजा मामला

- चीन भारत के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा जारी करता है। लेकिन चीन यह नीति भारत के अन्य राज्यों के निवासियों के साथ लागू नहीं करता है। चूंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का भाग मानता है और तिब्बत पर चीन का अधिकार है इस कारण चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है। लेकिन वह अरुणाचल में रहने वाले लोगों को 'चीनी' नहीं मानता है इसलिए वह यहाँ के निवासियों को नत्थी वीजा जारी करता है।

चुनौतियाँ

- चीन, तिब्बत में रेल नेटवर्क का जाल बिछा रहा है। 1985 किमी. लंबा छिंगहाई रेल मार्ग तिब्बत को शेष चीन से जोड़ता है। यह भारत, नेपाल और भूटान की सीमाओं के करीब स्थित है। सीमा से 5068 मीटर दूर तांगुला में चीन ने रेलवे स्टेशन बनाया है इससे भारत तक चीन आसानी से पहुँच सकता है।
- ज्ञातव्य है कि चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में 14 एयरबेस बनाए हैं और 58,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछाया है अर्थात् चीन लगातार इस क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ा रहा है।

आगे की राह

- चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत को और मजबूती के साथ अरुणाचल प्रदेश में सड़क, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग, वायु संपर्क और संचार नेटवर्क में सुधार करने की आवश्यकता है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का विकास करने की आवश्यकता है। ■

डाटा उपनिवेशवाद और उसकी चुनौतियाँ

प्र. चौथी औद्योगिक क्रांति में डाटा संसाधन काफी महत्वपूर्ण है। इस संसाधन से सभी लोगों को समान रूप से लाभ पहुँचे, इसके लिए सरकार को किस प्रकार के कदम उठाने की जरूरत है? चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- डाटा का स्रोत और स्वामित्व
- डाटा का इस्तेमाल
- डाटा उपनिवेशवाद
- भारत में डाटा विनियमन
- चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- 9वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन-2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि नव उपनिवेशवाद का एक नया रूप डाटा उपनिवेशवाद उभरकर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को डाटा उपनिवेशवाद को लेकर वैश्विक कंपनियों के विरुद्ध गम्भीर कदम उठाने चाहिए।

परिचय

- 21वीं सदी की शुरूआत में 'डाटा' एक धन सम्पत्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। गूगल, अमेजन, वालमार्ट और फेसबुक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लोगों की मानसिक दशा, संबंधों, संस्कृति और व्यवहार इत्यादि को समझकर उनकी वरीयताओं (Preferences) को समझा और इन्हीं वरीयताओं के आधार पर विज्ञापन और विभिन्न तरह के लुभावने उपहारों से अपने बिजनेस को विस्तृत किया।

डाटा का स्रोत और स्वामित्व

- डाटा पर स्वामित्व किसी और का नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का है, जो विभिन्न तरह की डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध करा रही हैं। आज विभिन्न रोगियों का डाटा उन कम्पनियों के पास है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

डाटा का इस्तेमाल

- पिछले कुछ वर्षों से यह भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि डाटा का इस्तेमाल कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस और इन्वेन्टरी मॉडल आदि में किया जा रहा है। इन्वेन्टरी मॉडल में ई-कॉमर्स क्षेत्र की कम्पनियाँ डाटा का इस्तेमाल करके ग्राहकों के व्यवहार को समझती हैं और उसी अनुसार उत्पाद का प्रचार-प्रसार करती हैं।

डाटा उपनिवेशवाद

- 21वीं सदी में डाटा जैसे बहुमूल्य धन को बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने बटोरकर अपना साम्राज्य स्थापित करने में उपयोग किया, इस प्रकार की प्रवृत्ति को 'डाटा उपनिवेशवाद' की संज्ञा दी गयी। डाटा उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद से अलग विचारधारा/प्रवृत्ति नहीं है बल्कि यह इसके एक अंग के रूप में है अर्थात् डाटा उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद को गति प्रदान कर रहा है। डाटा उपनिवेशवाद में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ लोगों के द्वारा उत्पन्न बहुमूल्य डाटा का इस्तेमाल करके अपना व अपने देश को भारी मात्रा में फायदा पहुँचा रही हैं जब कि जिन लोगों का यह धन उपयोग हो रहा है उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है।

भारत में डाटा विनियमन

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2018 में वित्तीय क्षेत्र की कम्पनियों को आदेश दिया था कि भुगतान प्रणाली (Payment System) से संबंधित सम्पूर्ण डाटा को भारत में ही संग्रहित करें ताकि एक बेहतर पर्यवेक्षण व विनियंत्रण स्थापित हो सके।

चुनौतियाँ

- डाटा उपनिवेशवाद ने नए किस्म के पूँजीवाद को भी जन्म दिया है, जिसमें सम्पत्ति (Wealth) कुछ ही हाथों में सिमट रही है, जैसे- गूगल और अमेजन के हाथों ही सम्पत्ति का एकत्रीकरण हो रहा है। जबकि इसके विपरीत डाटा के वास्तविक उत्पन्नकर्ता (आम नागरिक) को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है।
- आम नागरिक के डाटा का इस्तेमाल पैसा कमाने या मुद्रा से जुड़े अन्य विनियमों के लिए किया जा रहा है।

निष्कर्ष

- डाटा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार का दायित्व बनता है कि वह इसे देश में ही रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। आधार व डिजिटल होते बैंक खातों व इसी तरह की सुविधाओं से देश में लोगों का डाटा भी सरकार संचित कर रही है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि डाटा को लेकर लोगों में भरोसा बना रहे इसलिए उनका डाटा देश की भौगोलिक सीमा के भीतर ही रखने की कोशिश हो। आने वाले दिनों में डिजिटल दुनिया और आगे बढ़ेगी, ऐसे में डाटा का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। ■

सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 : एक अवलोकन

प्र. हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस विधेयक में कैमकॉर्डिंग और फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए क्या-क्या प्रावधान किये गए हैं? विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- वर्तमान परिदृश्य
- संशोधन की आवश्यकता क्यों
- सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक के मुख्य तथ्य
- लाभ
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति
- महत्त्व
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (Cinematograph Act, 1952) में संशोधन के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान समय में कई तरह की पायरेसी प्रचलन में हैं, परंतु सबसे ज्यादा पायरेसी मूवी, सॉफ्टवेयर और संगीत की हो रही हैं। दरअसल जब कोई सॉफ्टवेयर कम्पनी या मनोरंजन कम्पनी फिल्में या कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जो कंप्यूटर या मोबाइल या किसी भी डिजिटल नजरिये से किसी यूजर के काम आ सकता हो, तो वह एक उत्पाद होता है, जिसे बेचकर मुनाफा कमाया जाता है और ग्राहकों को सेवाएँ प्राप्त होती हैं।

संशोधन की आवश्यकता क्यों

- फिल्म उद्योग से जुड़े लोग साहित्यिक चोरी और पायरेसी के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं।

सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक के मुख्य तथ्य

- गैर-अधिकृत रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए नई धारा 6एए जुड़ेगा।
- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6ए के बाद यह धारा जोड़ी जाएगी।
- **धारा 6एए:** इस धारा के अनुसार अन्य कोई लागू कानून के बावजूद किसी व्यक्ति को लेखक की लिखित अनुमति के बिना किसी ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड उपकरण का उपयोग करके किसी फिल्म या उसके किसी हिस्से को प्रसारित करने या प्रसारित करने का प्रयास करने या प्रसारित करने में सहायता पहुँचाने की अनुमति नहीं होगी।

लाभ

- प्रस्तावित संशोधनों से उद्योग के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।
- फिल्म क्षेत्र व संगीत क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा।
- भारत के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी और पायरेसी तथा ऑनलाइन विषय-वस्तु की कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में राहत मिल सकेगी।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति

- समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना।
- मजबूत एवं प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना, ताकि अधिकृत व्यक्तियों एवं बृहद लोकहित के मध्य संतुलन कायम हो सके।

महत्त्व

- भारत में विकास के लिए ज्ञान मुख्य कारक है।
- भारत में शक्तिशाली, जीवंत एवं संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली से रचनात्मकता तथा नवाचार को सहायता मिलती है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलता है और सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ

- पायरेसी के असर और इससे संबंधित तमाम आँकड़े सामने होने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल न किया जाना।
- उल्लेखनीय है कि करीब साढ़े तीन साल पहले कॉपीराइट कानून में संशोधन करके गीतकार, संगीतकार, संवाद और पटकथा लेखक के स्वत्वाधिकार के संरक्षण के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया था। लेकिन सच यह है कि चूँकि नकली संगीत का कारोबार करने वाली कंपनियों के बारे में एक धुंधली स्थिति छोड़ दी गई थी, इसलिए इस कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाना मुमकिन नहीं हो सका है। यह भी सच्चाई है कि पुराने गीतों को दूसरे किसी स्वर में रिकॉर्ड करके या उसके संगीत में मामूली फेरबदल कर धड़ल्ले से कैसेट, सीडी आदि बेचे जाते रहे हैं। इस तरह की सीडी तैयार करने से पहले आमतौर पर मूल रचना के स्वत्वाधिकारियों से इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझा जाता।

आगे की राह

- सिनेमा हॉल में कैमरा एवं अन्य कैप्चर डिवाइसेज ले जाने से संबंधित नियमों का कठोरता से पालन किया जाय। साथ ही ऐसे उपाय किए जाएँ जिनसे पायरेसी का धंधा महँगा हो जाए, इससे खुद-ब-खुद पाइरेटेड सीडी के दाम बढ़ेंगे और खरीददार हतोत्साहित होंगे।
- फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान सिनेमा घरों में पायरेसी रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से थिएटर एवं मल्टीप्लेक्स संचालकों पर होनी चाहिए। ■

भारत में अग्नि सुरक्षा मानक एवं चुनौतियाँ

प्र. हाल के दिनों में अग्निजनित घटनाओं को देखते हुए बताएँ कि आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है? साथ ही इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रमुख उपाय सुझाइए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- अग्नि सुरक्षा प्रणाली
- खतरा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजना
- फायर स्टेशन और संबंधित उपकरण
- चुनौतियाँ
- बचाव के उपाय
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में दिल्ली के करोलबाग इलाके के एक होटल और पश्चिमी दिल्ली के नारायणा में कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग से एक बार फिर जाहिर हुआ है कि शहरों के व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर किस प्रकार सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही बरती जाती है।

परिचय

- ऐसा नहीं है कि आग से निपटने के लिए भारत में सुरक्षा मानक नहीं हैं। भारत का राष्ट्रीय भवन कोड 2005 एक दस्तावेज है जो आग से विभिन्न सुरक्षा मानकों के बारे में व्यापक जानकारी देता है, जिन्हें भवनों के निर्माण के दौरान पालन करने की आवश्यकता होती है।

अग्नि सुरक्षा प्रणाली

- आग (उपकरण, सुरक्षात्मक उपकरण, संचार, अग्निरोधी इत्यादि) के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी के लिए डिजाइन किए गए विशेष तकनीकी का उत्पादन करना।
- विचाराधीन क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करना।
- स्वैच्छिक अग्निशामक स्वयंसेवकों की सहायता करना।

खतरा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजना

- सरकार द्वारा अग्नि सुरक्षा के लिए खतरा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजना की शुरूआत की गई है, जो किसी भी क्षेत्र में फायर सर्विस सेटअप मुख्य रूप से जनसंख्या, प्रतिक्रिया समय और जोखिम खतरे के विश्लेषण पर आधारित है। विदित है कि इसमें, उपकरणों का एक निश्चित सेट होता है।

फायर स्टेशन और संबंधित उपकरण

- आग से बचाव और बचाव के उपायों के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना।
- स्थानीय परिषदों/निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ इलाकों/मोहल्लों/स्कूलों में छह महीने में एक बार अग्निशमन कार्यशाला का आयोजन करना।
- कई कार्यालय/ऊँची इमारतें/मंदिर और धार्मिक स्थान हैं जहाँ अग्निशमन उपकरण स्थापित हैं लेकिन शायद ही किसी व्यक्ति को इनका प्रयोग करने का ज्ञान हो।

चुनौतियाँ

- फायर स्टेशन की शहर से दूरी
- फायर स्टाफ की कमी
- हाइड्रेंट की सुविधा का अभाव
- हाइड्रोलिक सीढ़ियों की कमी
- सिर्फ खानापूर्ति बनती एनओसी
- अतिक्रमण बनता है समस्या
- सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में नहीं हैं जरूरी इंतजाम
- जागरूकता का अभाव
- वातानुकूलित कमरों का चलन
- जनसंख्या घनत्व

बचाव के उपाय

- अग्नि सुरक्षा अचानक लगने वाली आग से सुरक्षा के उपायों की जानकारी देती है और उससे होने वाले खतरों को कम करती हैं।
- अग्नि से सुरक्षा के लिए बहुत-से तरीके अपनाकर हम जान-माल की होने वाली हानि से बच सकते हैं।
- आग लगने की सूचना कम से कम शब्दों में दी जानी चाहिए।

आगे की राह

- आग के खतरों का जवाब देने के लिए कुशल और अच्छी तरह से सुसज्जित अग्नि सेवाएँ आवश्यक हैं।
- इसके लिए अग्निशमन विभाग को तुरंत सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों में अग्निशमन, भूकंप आदि स्थितियों से निपटने संबंधी इंतजामों की नियमित जाँच होनी चाहिए। उसी के अनुसार उनका लाइसेंस भी नवीकृत किया जाना चाहिए। आजकल सार्वजनिक भवनों में आग की स्थिति से निपटने के लिए स्वचालित अग्निशमन संयंत्र लगाना अनिवार्य है। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. ई–औषधि पोर्टल

हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए ई–औषधि नामक पोर्टल की शुरूआत की है।

पोर्टल का उद्देश्य

औषधि पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, सूचना प्रबंधन सुविधा तथा आँकड़ों के इस्तेमाल में सुधार लाना और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह पोर्टल लाइसेंस प्रदाता अधिकारी, निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए मददगार होने के साथ–साथ लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं तथा उनके उत्पादों तथा रद्द की गई और नकली औषधियों की जानकारी देने के अलावा शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारी का संपर्क सूत्र भी तत्काल उपलब्ध कराएगा।

इस पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की प्रक्रिया को समयबद्ध करने के लिए प्रत्येक चरण में पोर्टल के जरिये एसएमएस और ई-मेल के जरिये जानकारी दी जाएगी। यह नया ई–पोर्टल आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ऑटोमेटेड ड्रग हेल्प इनिशिएटिव के लिए एक मूल आधार है।

आयुष मंत्रालय

आयुष मंत्रालय आयुष के चिकित्सकों, दवा निर्माताओं और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयासरत है। आयुष मंत्रालय औषधि विज्ञान, दवाइयों के भण्डारण, अस्पतालों के लिये योजना बनाने से संबंधित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराता है। आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर, 2014 को की गई थी। इससे पहले आयुष मंत्रालय को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आईएसएम एंड एच) विभाग के रूप में जाना जाता था। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग की स्थापना मार्च 1995 में की गयी थी। ■

2. मैथिली भाषा तथा इसकी लिपियों का संवर्द्धन एवं संरक्षण

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि मैथिली भाषा अथवा मिथिलाक्षर के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के लिए पांडुलिपि केंद्र की स्थापना की जायेगी।

मुख्य तथ्य

- मिथिलाक्षर के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के लिए दरभंगा में पांडुलिपि केंद्र की स्थापना होगी।
- यह केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में से किसी एक परिसर में स्थापित होगी।
- मिथिलाक्षर का उपयोग आसान हो, इसके लिए लिपि को भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास संस्थान के द्वारा जल्द से जल्द कंप्यूटर की भाषा (यूनिकोड) में परिवर्तित करने का काम पूरा किया जाएगा।
- साथ ही मिथिलाक्षर लिपि को सीखने के लिए ऑडियो-विजुअल तकनीक भी विकसित की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- तिरहुत (Tirhuta) या मिथिलाक्षर व्यापक संस्कृति वाली 'मिथिला' की लिपि है। यह लिपि अत्यंत प्राचीन है और जिसकी गणना पूर्वोत्तर भारत की लिपियों में होती है।
- मिथिलाक्षर लिपि जिस लिपि परिवार से आती है, उसके अन्य सदस्य हैं- बांग्ला, असमिया, नेबारी, उड़िया और तिब्बती।
- मिथिलाक्षर का वर्तमान स्वरूप 10वीं शताब्दी में बना था। इसका सबसे पुराना उदाहरण 950 ई. के सहोदरा पाषाण अभिलेखों में देखने को मिलता है। ■

3. टैगोर पुरस्कार

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने राजकुमार सिंघाजीत सिंह, छायानॉत (बांग्लादेश की सांस्कृतिक संगठन) और रामजी सुतार को क्रमशः 2014, 2015 और 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार प्रदान किया है। सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार की शुरूआत भारत सरकार ने मानवता के प्रति गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के योगदान की पहचान करते हुए 2012 में उनकी 150वीं जयंती के अवसर

की थी। यह पुरस्कार वर्ष में एक बार दिया जाता है जिसके तहत एक करोड़ रुपये नकद (विदेशी मुद्रा में विनिमय योग्य), एक प्रशस्ति पत्र, धातु की मूर्ति और एक उत्कृष्ट पारम्परिक हस्तशिल्प/हस्तकरघा वस्तु दी जाती है। यह वार्षिक पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए असाधारण योगदान के लिए किसी व्यक्ति, संघ, संस्थान या संगठन को दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, भाषा, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना दिया जाता है। आमतौर पर नामांकन शुरू होने के दस साल पहले के दौरान किए गए योगदान पर विचार किया जाता है। पुराने योगदानों का महत्त्व यदि हाल में दृष्टिगोचर होता है तब ऐसी स्थिति में उन पर भी विचार किया जाता है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय टैगोर पुरस्कार के लिए प्रक्रिया संहिता के अध्याय IV के पैरा 1 के प्रावधानों के तहत विभिन्न लोगों/संगठनों से आवेदन मँगाता है। पहला टैगोर पुरस्कार 2012 में सितार वादक पंडित रविशंकर प्रसाद को प्रदान किया गया था और दूसरा पुरस्कार 2013 में जूबिन मेहता को दिया गया था। यह पुरस्कार दो व्यक्तियों/संस्थानों को संयुक्त रूप से भी दिया जा सकता है यदि निर्णायक समिति यह पाती है कि उस वर्ष के लिए दोनों व्यक्तियों/संस्थानों का योगदान एक समान है। ■

4. ई–टूरिस्ट वीजा

हाल ही में, भारत सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में कई संशोधन कर इसे और उदार बनाते हुए पर्यटकों के लिए अधिक अनुकूल बनाया गया है।

ई-वीजा व्यवस्था में किये गये प्रमुख संशोधन

- ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा के तहत भारत में प्रवास की अवधि, ठहरने की शर्तो के अनुसार मल्टीपल एंट्री सहित अधिकतम एक वर्ष है।
- विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमति देने के मौजूदा प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है।

ई-पर्यटन वीजा में बदलाव

- प्रत्येक यात्रा के दौरान ई-वीजा पर निरंतर प्रवास अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा।
- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। ■

5. लैडिस (LADIS) पोर्टल

हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने नई दिल्ली में LADIS (Least Available Depth Information System) नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। LADIS पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।

LADIS पोर्टल जहाज व नौका और कार्गो मालिकों के लिए कम से कम उपलब्ध गहराई (एलएडी) पर रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। जिससे वह राष्ट्रीय जलमार्गों पर ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से परिवहन कर सकें।

LADIS पोर्टल के बारे में

- LADIS पोर्टल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है।
- यह पोर्टल जलमार्गों में पर्याप्त गहराई के लिए रियल टाइम डेटा मुहैया कराएगा। इससे जलमार्गों में परिवहन में मदद मिलेगी।
- इस पोर्टल से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की जानकारी सुलभ होगी।
- जल्द ही अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए भी इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा।
- LADIS पोर्टल के निर्माण से राष्ट्रीय जलमार्ग में परिवहन करने वाले पोतों को फायदा होगा। इससे वह रास्ते में आने वाली परेशानियों से बच सकेंगे।
- ये LADIS पोर्टल जहाजों की आवाजाही के दौरान होने वाली पूर्व समस्याओं के अलावा राष्ट्रीय जलमार्गो पर निर्बाध परिचालन को प्राप्त करने के लिए सूचना के आदान-प्रदान की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाएगा।
- पोत संचालक और मालवाहक अपने जलयात्रा संबंधी योजनाओं को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध जलमार्ग संबंधी जानकारी (हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, नदी नोटिस) के अनुसार सख्ती से तैयार करेंगे। ■

6. विद्युत वाहनों को बढ़ावा

सरकार ने देश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग अधोसंरचना को अपग्रेड करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। केन्द्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज, (MBBL) 2016 तथा शहरी क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण व क्रियान्वयन (URDPFI) दिशानिर्देश 2014 में संशोधन किया है।

प्रमुख बिन्दु

- सड़क अथवा उच्च मार्ग में प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए।
- लम्बी दूरी तय करने वाले हैवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक व्हिकल्स के लिए प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में भी चार्जिंग प्वाइंट्स की अनुशंसा की गयी है।

- यह दिशा-निर्देश राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेंगे।

केन्द्र के अनुमान के अनुसार 2030 तक कुल वाहनों में से 25% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हिकल्स की चार्जिंग के लिए मजबूत अधोसरंचना का निर्माण अत्यंत आवश्यक हैं। यह दिशा-निर्देश इसी कड़ी में एक बड़ा कदम है। ■

7. इको सर्किट

हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री के.जे. अल्फोंस द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत केरल के वागामोन में इको सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया गया। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो देश में योजनाबद्ध और प्राथमिकता के साथ विषयगत सर्किटों का विकास करती है। इस योजना के तहत सरकार जहां एक ओर आगंतुकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे रही है।

जनवरी, 2015 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्वदेश दर्शन योजना' का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2014-15 के बजट में स्वदेश दर्शन योजना की घोषणा की गई थी।

उद्देश्य

- पर्यटन को आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के एक बड़े वाहक के रूप में स्थापित करना।
- भारत को एक वैश्विक ब्रांड तथा एक विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना।
- विविध थीम आधारित परिपथों एवं तीर्थस्थलों में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करना।
- पर्यटन संबंधी आकर्षण को बढ़ाने के माध्यम से समग्र पर्यटन अनुभव उपलब्ध कराना। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। दरअसल, अमेरिका के संविधान में आपातकाल की घोषणा के बाद समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। आपातकाल में समस्त वित्तीय शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति की वित्तीय सहायता के लिए कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं होती है। डोनाल्ड ट्रम्प ने यह घोषणा की थी कि अवैध आव्रजकों से देश की रक्षा के लिए यह जरूरी कदम है। इस कदम से अमेरिका-मेक्सिको की सीमा पर दीवार निर्माण के लिए संघीय कोष से सरकारी सहायता राशि जारी हो सकती है।

राष्ट्रीय आपातकाल अधिनियम-1976

- अमेरिका का राष्ट्रीय आपातकालीन कानून 14 सितंबर, 1976 को लागू किया गया था। इसके तहत राष्ट्रपति को विभिन्न आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं।
- यह अधिनियम राष्ट्रपति को संकट के दौरान विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है लेकिन ऐसी शक्तियों को लागू करते समय कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को भी पूरा करने का निर्देश जारी करता है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने का अधिकार है, जिसे देश को बड़े पैमाने पर आपदा या खतरे का सामना करने की स्थिति के दौरान लागू किया जा सकता है।
- यदि आपातकाल कांग्रेस द्वारा लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति को लगभग 136 अलग-अलग वैधानिक आपातकालीन शक्तियाँ सौंप दी जाती हैं।
- इनमें केवल 13 को कांग्रेस से सहमति की आवश्यकता है, शेष 123 को कांग्रेस से सहमति के बिना भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करने पर हाउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव्स द्वारा महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया भी जा सकता है। ■

2. भारत और फिनलैंड के बीच समझौता

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण में योगदान के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के बीच समानता, आदान-प्रदान और पारस्परिक लाभ के आधार पर पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए दीर्घकालीन सहयोग तथा नजदीकी प्रोत्साहन को बल मिलेगा। इसके मद्देनजर दोनों देशों में लागू कानून और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।

इसके जरिए बेहतर पर्यावरण सुरक्षा, बेहतर संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के बेहतर प्रबंधन और वन्यजीव सुरक्षा/संरक्षण के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं उत्कृष्ट व्यवहारों को प्राप्त किया जा सकेगा।

समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं-

- वायु और जल प्रदूषण रोकथाम और शुद्धिकरण, दूषित मिट्टी का उपचार
- घातक कचरे को शामिल करते हुए कचरा प्रबंधन और कचरे से बिजली प्रौद्योगिकियाँ
- वित्तीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन, कम कार्बन वाले उपाय और वनों सहित प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबंधन

- जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरण और वन निगरानी तथा डाटा प्रबंधन
- समुद्री और तटीय संसाधनों का संरक्षण
- महासागरीय/समुद्री द्वीपों का समग्र प्रबंधन तथा आपस में तय किए जाने वाले अन्य क्षेत्र

पृष्ठभूमि

पर्यावरण की बढ़ती हुई समस्या सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे पूरी दुनिया को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत विस्तृत तटीय रेखा और समृद्ध जैवविविधता से भरपूर विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिनलैंड में वायु और जल प्रदूषण जैसी प्रमुख पर्यावरण समस्याएँ हैं। इनके अलावा वहाँ वन्यजीव संरक्षण की भी समस्या है। फिनलैंड की प्रमुख पर्यावरण एजेंसी वहाँ का पर्यावरण मंत्रालय है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। वहाँ घरेलू और आसपास के देशों के उद्योगों से पैदा होने वाला प्रदूषण, हवा और पानी की शुद्धता को प्रभावित कर रहा है। फिनलैंड को जल प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। दोनों देशों को अशुद्ध जल प्रबंधन, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण, वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण तथा प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग जैसी कई पर्यावरण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने तय किया है कि पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए आपस में मिलकर पर्यावरण सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में नजदीकी और दीर्घकालिक सहयोग किया जाए। इसके अलावा बेहतर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों तथा उत्कृष्ट व्यवहारों को अपनाया जाए। ■

3 SPHEREx टेलीस्कोप

हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' (NASA) ने एक नए दूरबीन का अनावरण किया हैं, जिसे वर्ष 2023 में अंतरिक्ष के विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जायेगा। इस कार्य में दूरबीन यह पता लगाएगा कि ब्रह्मांड किस तरीके से विकसित हुआ और जीवन की कौन-सी सामग्रियाँ अंतरिक्ष में उपस्थित हैं। इस दो साल के मिशन को ''स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एपॉक ऑफ रिआयोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोर (SPHEREx)'' का नाम दिया गया है। यह दूरबीन आसमान का सर्वेक्षण प्रकाशिक व निकट अवरक्त प्रकाश से करेगा। खगोल विज्ञानी इसका प्रयोग करके 300 मिलियन से ज्यादा आकाशगंगाओं और 100 मिलियन से ज्यादा सितारों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं।

महत्त्व

- यह मिशन आकाशगंगा में जीवन के लिये आवश्यक पानी और कार्बनिक अणुओं की खोज करेगा।
- तारों के प्रारंभिक जीवन अर्थात् ये कैसे बनते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ सितारे गैस और धूल से पैदा होते हैं, साथ ही सितारों के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ अन्य नए ग्रह हो सकते हैं, इन सबका पता लगाएगा।
- इस प्रकार अद्वितीय आँकड़ों का भंडार प्राप्त किया जा सकेगा।
- SPHEREx प्रत्येक छह माह में पृथ्वी उपग्रहों और मंगल अंतरिक्ष यान की अनुकूलित तकनीकों का उपयोग करके पूरे आकाश का सर्वेक्षण करेगा। ■

4. विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019

हाल ही में विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन, 2019 का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में किया। इसका आयोजन ऊर्जा व संसाधन संस्थान (TERI) द्वारा किया गया।

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन

- विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन विकासशील देशों में हो रहे वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है।
- विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं और चिकित्सकों को सार्वभौमिक महत्त्व के जलवायु मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन एक मंच पर दुनिया के सबसे प्रबुद्ध नेताओं और विचारकों को इकट्ठा करके वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने का प्रयास करता है।

ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI)

- TERI- टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में श्री दरबारी एस. सेठ द्वारा की गई थी। श्री दरबारी एस. सेठ टाटा केमिकल्स लिमिटेड के निर्माता थे।
- अपनी स्थापना के समय से टीईआरआई ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

उद्देश्य

ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) का उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग और कचरे को कम करने और पुन: उपयोग करने के अभिनव तरीकों के माध्यम से एक स्वच्छ और स्थायी भविष्य की ओर ले जाना है। ■

5. भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और नॉर्वे के बीच भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता पर समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है।

लाभ

इस समझौते से महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। महासागरीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नॉर्वे विश्व भर में अग्रणी है। इसके पास मछली पालन, हाइड्रोकार्बन, अक्षय ऊर्जा, समुद्री संसाधनों के समुचित दोहन और समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्रों

में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता है। प्रस्तावित समझौते से संयुक्त कार्यबल (जेटीएफ) के कार्यक्रम के भीतर सभी हितधारकों के परस्पर लाभ के लिए, हाइड्रोकार्बनों और अन्य समुद्री संसाधनों के दोहन के साथ ही बंदरगाहों के प्रबंधन और पर्यटन के विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी। मछली पालन (एक्वाकल्चर) के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसका योगदान होगा। इससे दोनों देशों के बीच लाभदायक उद्यमों से जुड़े कारोबारों के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। इसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्त्ता आर्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में महासागरीय पारितंत्र के अध्ययन के मामले में भी सहयोग कर सकते हैं। ■

6. एंटबॉट रोबोट

हाल ही में फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च (CNRS) के शोधकर्ताओं ने चींटी की तरह चलने वाले 'AntBot' रोबोट का विकास किया है। यह रोबोट अपने आसपास के क्षेत्र में खोजबीन कर सकता है और बिना जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) की सहायता से घर तक वापस आ सकता है।

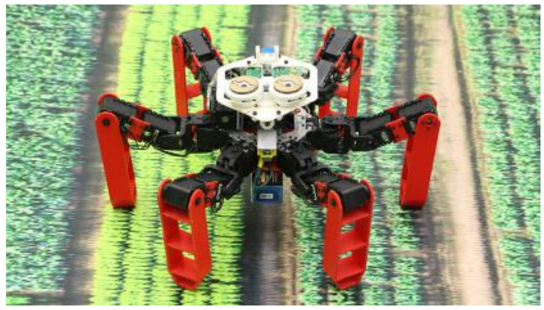

एंटबॉट (AntBot)

इसके लिए वैज्ञानिकों ने मरुस्थलीय चींटियों से प्रेरणा ली, जो अकेले ही यात्रा करती हैं। चींटियाँ अपनी अवस्थिति का पता करने के लिए ध्रुवीय रोशनी तथा पराबैंगनी रोशनी का उपयोग करती हैं। यह एंटबॉट (AntBot) भी इन चींटियों की तरह ही कार्य करता है। इस छह टांग वाले रोबोट में ऑप्टिकल कंपास है, जिसकी सहायता से यह ध्रुवीय रोशनी का पता लगाकर अपनी दिशा निश्चित कर सकता है। इसमें सूर्य की दिशा में ऑप्टिकल मूवमेंट सेंसर लगा है, जिससे यह तय की गयी दूरी की गणना करता है। ■

7. विश्व रोजगार तथा सामाजिक परिदृश्य ट्रेंड 2019

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने विश्व रोजगार तथा सामाजिक परिदृश्य ट्रेंड 2019 रिपोर्ट जारी की, इसके मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- 2019 में बेरोजगारी दर कम होकर 4.9% पर पहुँच जाएगी।
- इस रिपोर्ट में बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या 174 मिलियन पर पहुँचने का अनुमान लगाया गया है।
- इस रिपोर्ट में रोजगार के मामले में महिलाओं की भागीदारी कम होने पर चिंता व्यक्त की गयी है। महिलाओं की रोजगार दर केवल 48% है, जबकि पुरुषों का रोजगार दर 75% है।
- श्रम बाजार में कार्य करने वाले कुल 3.3 अरब श्रम बल में 2 अरब लोग अनौपचारिक रोजगार में कार्यरत हैं तथा उनकी आर्थिक सुरक्षा जोखिम में है।
- युवाओं (15-24 आयुवर्ग) में बेरोजगारी दर 11.8% है।
- इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 5 से 14 वर्ष की आयु के 114 मिलियन बच्चे वैश्विक श्रम बाजार में कार्यरत हैं, उनमें से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

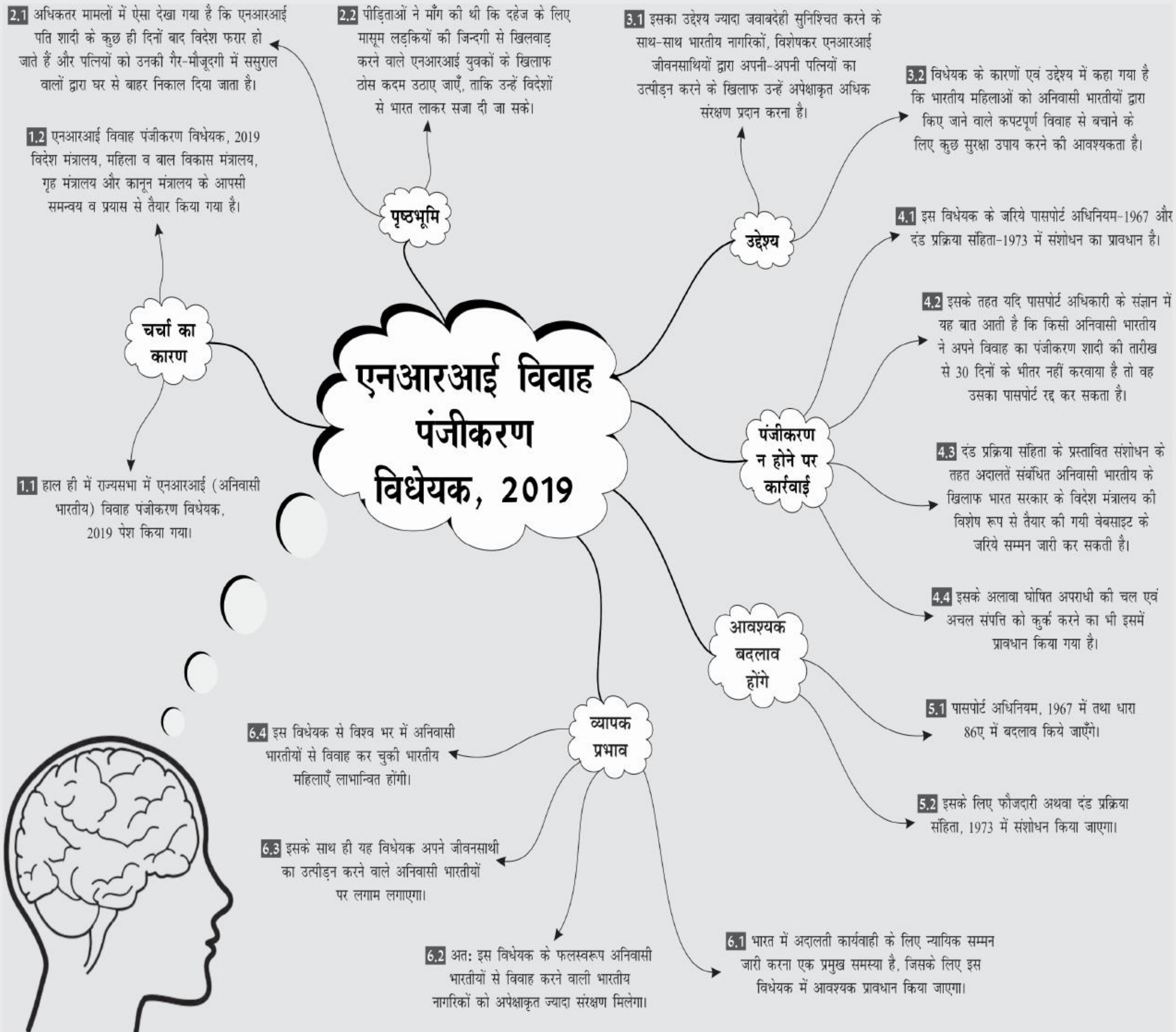
एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019
चर्चा का कारण
1.1 हाल ही में राज्यसभा में एनआरआई (अनिवासी भारतीय) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 पेश किया गया।
1.2 एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 विदेश मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के आपसी समन्वय व प्रयास से तैयार किया गया है।
पृष्ठभूमि
2.1 अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है कि एनआरआई पति शादी के कुछ ही दिनों बाद विदेश फरार हो जाते हैं और पत्नियों को उनकी गैर-मौजूदगी में ससुराल वालों द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाता है।
2.2 पीड़िताओं ने माँग की थी कि दहेज के लिए मासूम लड़कियों की जिन्दगी से खिलवाड़ करने वाले एनआरआई युवकों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएँ, ताकि उन्हें विदेशों से भारत लाकर सजा दी जा सके।
उद्देश्य
3.1 इसका उद्देश्य ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों, विशेषकर एनआरआई जीवनसाथियों द्वारा अपनी-अपनी पत्नियों का उत्पीड़न करने के खिलाफ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है।
3.2 विधेयक के कारणों एवं उद्देश्य में कहा गया है कि भारतीय महिलाओं को अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण विवाह से बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है।
पंजीकरण न होने पर कार्रवाई
4.1 इस विधेयक के जरिये पासपोर्ट अधिनियम-1967 और दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में संशोधन का प्रावधान है।
4.2 इसके तहत यदि पासपोर्ट अधिकारी के संज्ञान में यह बात आती है कि किसी अनिवासी भारतीय ने अपने विवाह का पंजीकरण शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं करवाया है तो वह उसका पासपोर्ट रद्द कर सकता है।
4.3 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रस्तावित संशोधन के तहत अदालतें संबंधित अनिवासी भारतीय के खिलाफ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से तैयार की गयी वेबसाइट के जरिये सम्मन जारी कर सकती है।
4.4 इसके अलावा घोषित अपराधी की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है।
आवश्यक बदलाव होंगे
5.1 पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में तथा धारा 86ए में बदलाव किये जाएँगे।
5.2 इसके लिए फौजदारी अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया जाएगा।
व्यापक प्रभाव
6.1 भारत में अदालती कार्यवाही के लिए न्यायिक सम्मन जारी करना एक प्रमुख समस्या है, जिसके लिए इस विधेयक में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
6.2 अत: इस विधेयक के फलस्वरूप अनिवासी भारतीयों से विवाह करने वाली भारतीय नागरिकों को अपेक्षाकृत ज्यादा संरक्षण मिलेगा।
6.3 इसके साथ ही यह विधेयक अपने जीवनसाथी का उत्पीड़न करने वाले अनिवासी भारतीयों पर लगाम लगाएगा।
6.4 इस विधेयक से विश्व भर में अनिवासी भारतीयों से विवाह कर चुकी भारतीय महिलाएँ लाभान्वित होंगी।

फैक्टशीट चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट-2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) द्वारा एक रिपोर्ट, 'फैक्टशीट चाइल्ड मैरिज 2019' जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहा है।

1.2 इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, बंगाल और राजस्थान में यह प्रथा अब भी जारी है। इन राज्यों में करीब 40 फीसदी की दर से बाल विवाह का प्रचलन है।

भारत में स्थिति

2.1 हालाँकि तमिलनाडु और केरल में बाल विवाह का प्रचलन 20 फीसदी से कम है लेकिन यह प्रथा आदिवासी समुदायों में और अनुसूचित जातियों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है।

2.2 रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह से लड़कियों के जीवन, कल्याण और भविष्य को नुकसान पहुँचता है।

2.3 2030 तक अपने 18वें जन्म दिन से पहले 15 करोड़ से अधिक लड़कियों की शादी हो चुकी होगी।

2.4 बालिका शिक्षा की दरों में सुधार और किशोरियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए निवेश व कल्याणकारी कार्यक्रम और बाल विवाह की अवैधता के साथ ही सार्वजनिक रूप से मजबूत संदेश देने जैसे कदम के चलते बाल विवाह की दर में कमी देखने को मिली है।

2.5 रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2005-2006 में जहाँ 47 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी, वहीं 2015-2016 में यह 27 फीसदी दर्ज हुई।

वैश्विक स्थिति

3.1 **वर्तमान में** दुनिया भर में करीब 65 करोड़ लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले कर दी गयी है और विश्व स्तर पर बचपन में शादी कर दी जाने वाली लड़कियों की कुल संख्या प्रति वर्ष करीब 1.2 करोड़ है।

3.2 दक्षिण एशिया 40 फीसदी से अधिक दर (कुल वैश्विक दर का 28.5 करोड़ या 44 प्रतिशत) के साथ बाल वधुओं का सबसे बड़ा घर है। इसके बाद उप-सहारा अफ्रीका (वैश्विक दर 18 प्रतिशत या 11.5 करोड़) है।

3.3 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में बाल विवाह की स्थिति में बदलाव नहीं आया है। यहाँ बाल विवाह की उच्च दर के मामले में 25 साल पहले जैसे हालात अभी भी हैं।

3.4 पिछले एक दशक में, बाल विवाह की दर में 15 प्रतिशत की कमी आई है, लिगभग 2.5 करोड़ बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है।

3.5 दक्षिण एशिया में, लड़की की बचपन में शादी कर दिए जाने में एक तिहाई से भी अधिक गिरावट आई है, जो कि एक दशक पहले लगभग 50 प्रतिशत थी और अब वर्तमान में 30 प्रतिशत है।

3.6 बाल विवाह का वैश्विक बोझ दक्षिण एशिया से उप-सहारा अफ्रीका में स्थानांतरित हो रहा है।

3.7 उप-सहारा अफ्रीका में 25 साल में विवाहित बाल वधुओं का आँकड़ा करीब तीन में से एक हो गया है।

बाल विवाह के कारण

4.1 गरीबी, लड़कियों की शिक्षा का निम्न स्तर, लड़कियों को आर्थिक बोझ समझना, सामाजिक प्रथाएँ एवं परंपराएँ बाल विवाह के प्रमुख कारण हैं।

बाल विवाह के दुष्परिणाम

5.1 यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास, सहभागिता और जीवन के अधिकार को चुनौती देता है।

5.2 कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

5.3 इसके अलावा शिक्षा प्राप्ति के अवसर कम हो जाते हैं और व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006

6.1 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के नए कानून के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की जेल और एक लाख रुपए का दंड निर्धारित किया गया है।

6.2 इस समय विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिये 18 वर्ष और बालकों के लिये 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

आगे की राह

7.1 बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, अतः इसका निदान सामाजिक जागरूकता से ही सम्भव है।

7.2 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिये।

मोस्ट फेवर्ड नेशन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत सरकार ने पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा वापस ले लिया है।

पृष्ठभूमि

2.1 1996 में भारत ने पाकिस्तान को दिया था सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) का दर्जा।

2.2 नवंबर, 2011 में पाक कैबिनेट ने भारत के एमएफएन दर्जे को मंजूरी दी थी, किन्तु बाद में वहाँ की सरकार ने यह दर्जा नहीं दिया।

2.3 18 सितंबर, 2016 को उरी हमले के बाद पाक के एमएफएन दर्जे की भारत द्वारा समीक्षा की गई थी।

एमएफएन का दर्जा

3.1 एमएफएन का दर्जा डब्ल्यूटीओ के सामान्य शुल्क एवं व्यापार समझौते के तहत दिया जाने वाला एक व्यापारिक दर्जा है।

3.2 सुरक्षा संबंधी विवाद पनपने की परिस्थिति में दर्जा देने वाले देश को इसे वापस लेने का अधिकार होता है।

3.3 एमएफएन एक गारंटी है कि दर्जा देने वाला देश 'दर्जा प्राप्त' मुल्क से व्यापार में भेदभाव नहीं करेगा।

3.4 वह उसे अन्य दर्जा प्राप्त साझेदारों को दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक शर्तों और रियायतों का लाभ देगा।

भारत को नुकसान नहीं

4.1 भारत और पाक का व्यापार भारत के कुल व्यापार का 0.40% ही है। पाक, भारत के 10% उत्पादों के आयात को मंजूरी देता है जबकि भारत, पाक के 99% उत्पादों पर रोक नहीं लगाता। 2017-18 में पाक को 1.9 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, पाक से आयात 50 लाख डॉलर था।

4.2 भारत की पाकिस्तान के बाजार पर निर्भरता नहीं है और आसानी से वह मध्य-पूर्व के देशों का रुख कर सकता है।

व्यापार में शामिल वस्तुएँ

5.1 भारत पाकिस्तान से फल, सीमेंट, चमड़ा, केमिकल और मसालों का आयात करता है, जबकि वह लोहा, स्टील, सब्जियों, कपास, डाई आदि का निर्यात करता है।

द्विपक्षीय कारोबार

6.1 **पाकिस्तान ने भारत की** 1209 वस्तुओं को नकारात्मक सूची में डाल रखा है।

6.2 2017-18 **में भारत-पाकिस्तान का** द्विपक्षीय कारोबार 2.61 अरब डॉलर था।

6.3 **पाकिस्तान** 137 उत्पादों को ही भारत से निर्यात की मंजूरी देता है।

प्रभाव

7.1 पाकिस्तान का 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा खत्म होने से वह भारत से सस्ते दामों पर सामान नहीं मंगा सकेगा।

7.2 भारत उसके सामानों पर भारी आयात शुल्क लगा सकेगा और उससे आयात के कोटे को न्यूनतम भी कर सकेगा।

7.3 पाकिस्तान की भारत के खुले बाजार में पहुँच खत्म हो जाएगी। दरअसल, पिछले एक दशक में संकट के वक्त पाकिस्तान ने भारत से आलू, प्याज, टमाटर, चीनी और चावल जैसे तमाम उत्पादों का आयात किया है।

7.5 नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि पाक से एमएफएन का दर्जा छीनने से उसकी अर्थव्यवस्था को काफी झटका लगेगा।

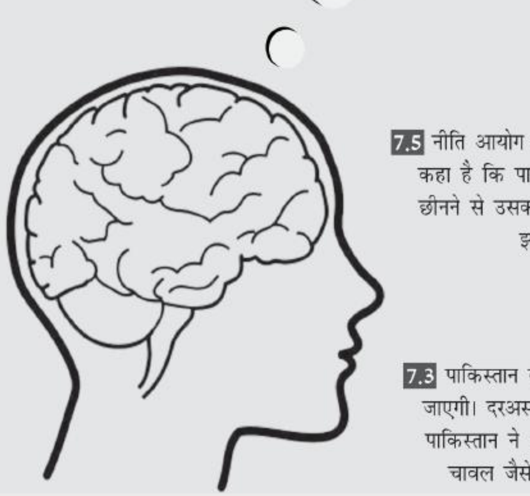

रिटायरमेंट के बाद जजों की नियुक्ति

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही मे जस्टिस ए.के. सिकरी ने 'कॉमनवेल्थ सेक्रेटैरियट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (CSAT) का प्रेसिडेंट/मेम्बर बनाये जाने के सरकार के प्रस्ताव से अपनी सहमति वापस ले ली।

पृष्ठभूमि

2.1 28 जनवरी, 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। तब से लेकर अब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे न्यायाधीशों में से 44 ऐसे न्यायाधीश रहे हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से ऑफर किए गए पद को स्वीकार किया।

2.2 इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों में 161 जज ऐसे हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में पद लिया है।

किन पदों पर होती हैं नियुक्तियाँ

3.1 सुप्रीम कोर्ट के जजों की बड़ी संख्या में आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाती है।

रिटायरमेंट के बाद पद संभालने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज

4.1 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी. सदाशिवम 30 सितम्बर, 2014 को केरल के गवर्नर बनाए गए।

4.2 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एचएल दत्तू 23 फरवरी, 2016 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए।

4.3 सुप्रीम कोर्ट के जज रहे एसजे मुखोपाध्याय को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया गया।

4.4 सुप्रीम कोर्ट के जज रहे बीएस चौहान को लॉ कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया।

भारत में स्थिति

5.1 भारत में उच्चतम न्यायालय के सभी मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष एवं उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद ग्रहण करते हैं।

अमेरिका और ब्रिटेन में स्थिति

6.1 अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आजीवन (65 वर्ष तक) अपने पदों पर रहते हैं।

6.2 वहाँ के संविधान में यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर फैसलों के बदले कुछ पाने की चाहत की आशंका की गुंजाइश बहुत कम रहे।

6.3 ब्रिटेन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज 70 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ब्रिटेन में परंपरा रही है कि रिटायर होने के बाद कोई जज किसी भी सरकारी पद को नहीं लेते हैं।

प्रभाव

7.1 रिटायरमेंट से पहले किए गए फैसले, रिटायरमेंट के बाद नौकरी की इच्छा से प्रभावित होते हैं।

7.2 रिटायरमेंट के बाद की नौकरियों की इच्छा देश की न्यायपालिका की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है।

7.3 जजों की बैलट बॉक्स को फॉलो करने की मानसिकता रही है, जो कि समय के साथ चलती ही जा रही है। न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है, ऐसे में अगर लोगों का भरोसा टूटेगा तो उनका लोकतंत्र से भी भरोसा उठ जाएगा।

7.4 न्यायिक फैसलों से रिटायरमेंट के बाद की नौकरियाँ तैयार की जा रही हैं।

सुझाव

8.1 रिटायरमेंट के बाद अगला पद लेने के बीच दो साल का अंतराल होना चाहिए, अन्यथा सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से कोर्ट को प्रभावित कर सकता है।

8.2 बड़ी तादाद में लंबित मामलों के निपटारे के लिए जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए।

8.3 जजों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को निश्चित समय में पूरा किया जाना चाहिए।

दिल्ली सरकार बनाम केंद्र

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) दिल्ली सरकार का तो हिस्सा है लेकिन उस पर नियंत्रण उपराज्यपाल का ही होगा।

1.2 सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने अपने फैसले में एलजी और दिल्ली सरकार के अधिकारों की व्याख्या की है, साथ ही एलजी को आदेश भी दिया कि वे राज्य सरकार के साथ तालमेल बना कर कार्य करें।

पृष्ठभूमि

2.1 संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा था कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता परंतु उसने उपराज्यपाल के अधिकार भी कम कर दिये थे।

2.2 संविधान पीठ ने कहा था कि उपराज्यपाल को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें निर्वाचित सरकार की मदद और सलाह से ही काम करना होगा।

2.3 केंद्र सरकार ने पिछले साल 19 सितंबर को न्यायालय से कहा था कि दिल्ली का प्रशासन अकेले दिल्ली सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

2.4 केंद्र ने दलील दी थी कि नई दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से इसका एक विशेष स्थान है।

केंद्र के पक्ष में निर्णय

3.1 सभी प्रशासनिक सेवाओं के बारे में दिल्ली सरकार को कोई अधिकार नहीं होगा।

3.2 संयुक्त निदेशक और इससे ऊपर के अधिकारियों के तबादले और तैनाती सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है और अन्य नौकरशाहों से संबंधित मामलों में मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल का दृष्टिकोण माना जायेगा।

3.3 दिल्ली में सुचारु ढंग से शासन के लिए सचिव और विभागों के मुखिया के पद पर तैनाती और तबादले उपराज्यपाल द्वारा किये जायेंगे।

3.4 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास जाँच आयोग नियुक्त करने का अधिकार होगा।

3.5 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस अधिसूचना को बरकरार रखा है कि दिल्ली सरकार का एसीबी भ्रष्टाचार के मामलों में उसके कर्मचारियों की जाँच नहीं कर सकता है।

3.6 एंटी-करप्शन ब्रांच केंद्र के अधीन रहेगी क्योंकि पुलिस केंद्र के पास है।

दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय

4.1 स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा।

4.2 राजस्व संबंधी कोई निर्णय लेने में एलजी की सहमति लेनी होगी इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मामले में डायरेक्टर की नियुक्ति सीएम के पास होगी।

4.3 दिल्ली की निर्वाचित सरकार को लोक सेवक नियुक्त करने, भू-राजस्व के मामलों का फैसला करने और विद्युत आयोग या बोर्ड की नियुक्ति का अधिकार होगा।

दिल्ली की संवैधानिक स्थिति

5.1 अनुछेद 239कक के तहत दिल्ली एक संघशासित प्रदेश है। इस अनुच्छेद के अनुसार दिल्ली के पास अपनी एक विधानसभा भी होगी जिसके प्रतिनिधियों को जनता चुन कर भेजेगी।

5.2 संसद ने 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 क और 249 कख शामिल करके इनमें दिल्ली से संबंधित नये प्रावधान किये।

5.3 इस राज्य की विशेष स्थिति को देखते हुए लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय में विधि बनाने की शक्ति विधानसभा के पास नहीं होगी।

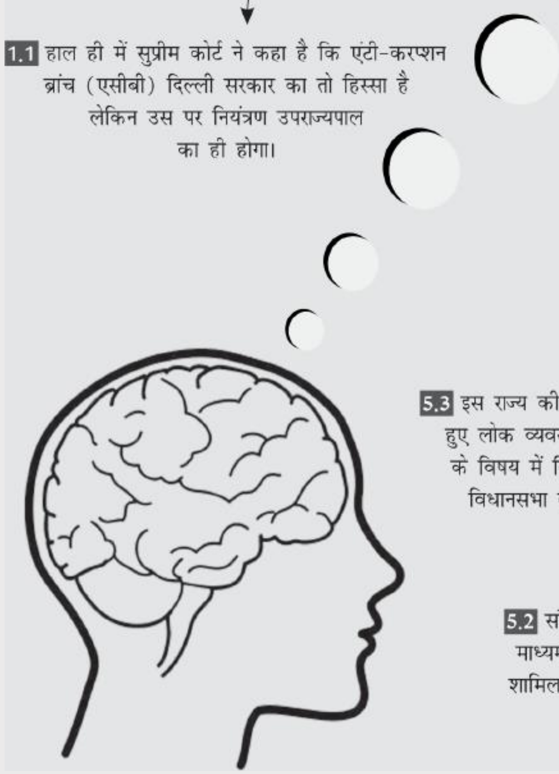

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने के लिए बनाई गई सतपथी समिति ने अपनी सिफारिश में न्यूनतम वेतन को 375 रुपये प्रतिदिन करने का सुझाव दिया है।

1.2 वर्तमान में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों या अकुशल कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन 321 रुपये प्रतिदिन और अर्द्ध-कुशल कर्मियों के लिए 371 रुपये प्रतिदिन है।

पृष्ठभूमि

2.1 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जनवरी 2017 में अनूप सतपथी की अगुआई में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने के तरीके पर सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ कमिटि बनाई थी।

प्रमुख सिफारिशें

3.1 सतपथी समिति ने सेक्टर, स्किल्स और स्थानों के आधार पर वेतन में अंतर को भी समाप्त करने की सिफारिश की है।

3.2 इसके साथ ही शहरों में कामगारों को 55 रुपये का अतिरिक्त रेंट अलाउंस देने का प्रस्ताव है।

3.3 समिति ने हर पाँच वर्षों में कंजम्पशन बास्केट की समीक्षा करने और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के अनुसार मूल न्यूनतम वेतन को प्रत्येक छह महीने में अपडेट करने का सुझाव भी दिया है।

3.4 भारतीय जनसंख्या के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की पौष्टिकता की जरूरत के सुझाव के मद्देनजर रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए संतुलित भोजन पर विचार करने का सुझाव दिया है।

3.5 न्यूनतम वेतन में कपड़े, ईंधन, घर का किराया, शिक्षा, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी गैर-फूड आइटम पर खर्च को शामिल करने के लिए कहा गया है।

3.6 समिति ने न्यूनतम वेतन के लिए क्षेत्र, कौशल, पेशा (PESA) और ग्रामीण-शहरी स्थानों को आधार नहीं बनाया है।

3.7 रिपोर्ट में शहरों में कर्मियों के लिए 55 रुपये प्रतिदिन या 1,430 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त हाउस रेंट अलाउंस दने की भी सिफारिश की गई है। यह न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त होगा।

वर्तमान स्थिति

4.1 अभी देश में न्यूनतम वेतन सेक्टर, पेशे और स्थानों के अनुसार तय किया जाता है।

4.2 न्यूनतम मजदूरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है।

4.3 न्यूनतम वेतन को लागू करने में भी समस्याएँ आती हैं क्योंकि बहुत-से छोटे कारोबारी कामगारों को अपने रिकॉर्ड पर नहीं रखते या उन्हें कम वेतन देकर अधिक राशि के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लेते हैं।

4.4 राज्यों के बीच मासिक न्यूनतम मजदूरी में अंतर का न्यूनतम और अधिकतम अंतर का स्तर 12,194 रुपये है। अगर समिति का प्रस्ताव लागू होता है तो 2,739 रुपये का अंतर होगा।

क्षेत्रीय विविधताएँ

5.1 विविध सामाजिक-आर्थिक और श्रम बाजार स्थितियों के साथ पाँच अलग-अलग क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की अनुशंसा की गयी है।

5.2 क्षेत्र 1 में 342 रुपये प्रतिदिन (8,892 रुपये प्रति माह) असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

5.3 क्षेत्र 2 में 380 रुपये प्रतिदिन (9,880 रुपये प्रति माह) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड शामिल हैं।

5.4 क्षेत्र 3 में 414 रुपये प्रतिदिन (प्रति माह 10,764 रुपये) गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शामिल हैं।

5.5 क्षेत्र 4 में 447 रुपये प्रतिदिन (11,622 रुपये प्रति माह) दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं।

5.6 क्षेत्र 5 में 386 रुपये प्रतिदिन (प्रति माह 10,036 रुपये) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं।

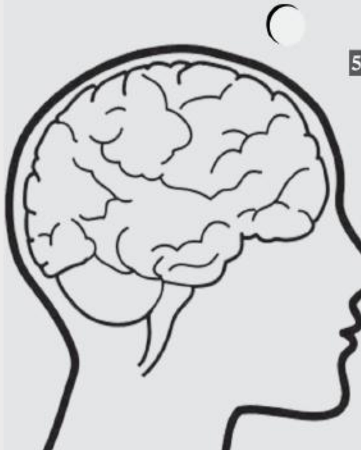

अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के लगभग आधे से अधिक अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र खराब हो चुके हैं जिसके कारण मौजूदा संयंत्रों में क्षमता से कम काम हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

2.1 1987 के बाद से, देश भर में 15 डब्ल्यूटीई संयंत्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन इनमें से सात संयंत्र बंद हो गए हैं। बंद सयंत्रों में दिल्ली के अलावा, कानपुर, बंगलुरू, हैदराबाद, लखनऊ, विजयवाड़ा और करीमनगर के संयंत्र शामिल हैं।

2.2 इन संयंत्रों की अक्षमता या बंद होने का मूल कारण अपशिष्ट की गुणवत्ता और उसकी संरचना है।

2.3 अपशिष्ट पदार्थों को जलाने के लिए अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता होती है, जो इन संयंत्रों को चलाने के लिए महँगा साबित होता है।

2.4 इसके अलावा इन कारखानों से उत्पादित विद्युत की दर लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट है जो कि थर्मल एवं सौर स्रोतों से प्राप्त 3-5 रुपए प्रति यूनिट की अपेक्षा काफी महँगी है।

2.5 साथ ही नीति आयोग ने अपने स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में 2018-19 में स्थापित डब्ल्यूटीई संयंत्रों से 800 मेगावाट ऊर्जा प्राप्ति की परिकल्पना की है, जो सभी मौजूदा डब्ल्यूटीई संयंत्रों की क्षमता से 10 गुना अधिक है।

2.6 इसमें भारत के अपशिष्ट से ऊर्जा निगम की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया गया है, जो पीपीपी मॉडल (Public Private Partnership Model) के माध्यम से संयंत्रों का निर्माण करेगा।

डब्ल्यूटीई संयंत्र की जरूरत क्यों

3.1 देश भर में प्रतिदिन लगभग 1.43 लाख टन नगरपालिका का ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसे निपटाने की विशेष जरूरत है।

3.2 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 25,940 टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है।

3.3 केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2031 तक 4.5 लाख टन प्रतिदिन कचरे का उत्पादन होगा, जो 2050 तक 11.9 लाख टन प्रतिदिन तक यह पहुँच जाएगा।

3.4 भारत में नगरपालिका के ठोस कचरे में कम कैलोरी और उच्च नमी की मात्रा पाई जाती है।

3.5 अधिकांश अपशिष्टों में अत्यंत निष्क्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं, जो संयंत्र में अपशिष्ट को पृथक करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं।

3.6 नीति आयोग का प्रयास है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत डब्ल्यूटीई संयंत्रों से 800 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जा सके।

आगे की राह

4.1 विषैले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त फिल्टरिंग तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

4.2 भारत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के लिए आवश्यक है कि गीले और सूखे कचरे को मिश्रित न किया जाए, ताकि केवल गैर-खाद योग्य और गैर-पुन: उपयोग योग्य अपशिष्ट डब्ल्यूटीई संयंत्रों तक पहुँच जाए।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019

प्र. एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक मानव संसाधन व ग्रामीण विकास मंत्रालय के समन्वय व प्रयास से तैयार किया गया है।
2. यह विधेयक अपने जीवनसाथी का उत्पीड़न करने वाले अनिवासी भारतीयों पर लगाम लगाएगा।
3. अगर किसी अनिवासी भारतीय ने अपने विवाह का पंजीकरण शादी की तारीख से 60 दिनों के भीतर नहीं करवाया है तो पासपोर्ट अधिकारी द्वारा उसका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 1 व 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक-2019 विदेश मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के आपसी समन्वय व प्रयास से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य एनआरआई जीवनसाथियों द्वारा अपनी-अपनी पत्नियों का उत्पीड़न करने के खिलाफ पीड़ित महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है। इस विधेयक के अनुसार अगर अनिवासी भारतीय ने अपने विवाह का पंजीकरण शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं करवाया है तो पासपोर्ट अधिकारी उसका पासपोर्ट रद्द कर सकता है। इस प्रकार दिए गए कथनों में केवल 2 सही है, जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

2. फैक्टशीट चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट-2019

प्र. फैक्टशीट चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट-2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह अब समाप्त हो चुका है।
2. बाल विवाह का वैश्विक बोझ उप-सहारा अफ्रीका से दक्षिण एशिया में स्थानांतरित हो रहा है।
3. लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में बाल विवाह की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
4. इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक अपने 18वें जन्म दिवस से पहले 15 करोड़ से अधिक लड़कियों की शादी हो चुकी होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3 (b) केवल 1
(c) केवल 3 (d) केवल 4

उत्तर: (a)

व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) द्वारा जारी 'फैक्टशीट चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट-2019' में कहा गया है कि भारत के बिहार, बंगाल और राजस्थान में बाल विवाह अब भी हो रहे हैं। इन राज्यों में करीब 40 फीसद की दर से बाल विवाह का प्रचलन है। रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में बाल विवाह की स्थिति में बदलाव नहीं आया है। इसके अलावा बाल विवाह का वैश्विक बोझ दक्षिण एशिया से उप-सहारा अफ्रीका में स्थानांतरित हो रहा है। इस प्रकार दिये गए कथनों में केवल कथन 4 सही है, जबकि अन्य सभी कथन गलत हैं। ■

3. मोस्ट फेवर्ड नेशन

प्र. मोस्ट फेवर्ड नेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 1996 में भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) का दर्जा प्रदान किया था।
2. एमएफएन का दर्जा डब्ल्यूटीओ (WTO) के सामान्य शुल्क एवं व्यापार समझौते के तहत दिया जाने वाला एक व्यापारिक दर्जा है।
3. सुरक्षा संबंधी विवाद पनपने की परिस्थिति में दर्जा देने वाले देश को इसे वापस लेने का अधिकार नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 1 व 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: एमएफएन का दर्जा सुरक्षा संबंधी विवाद पनपने की परिस्थिति में दर्जा देने वाले देश को इसे वापस लेने का अधिकार होता है। एमएफएन एक गारंटी है कि दर्जा देने वाला देश 'दर्जा प्राप्त' मुल्क से व्यापार में भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार दिए गए कथनों में कथन 3 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

4. रिटायरमेंट के बाद जजों की नियुक्ति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश 62

वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करते हैं।

2. भारत में सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया।
3. ब्रिटेन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) केवल 1 व 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करते हैं न कि 62 वर्ष तक। ब्रिटेन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज 70 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। ब्रिटेन में परंपरा है कि रिटायर होने के बाद कोई जज किसी भी सरकारी पद को नहीं लेते हैं। इस प्रकार दिये गए कथनों में 2 सही है, जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

5. दिल्ली सरकार बनाम केन्द्र

प्र. दिल्ली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?

(a) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCTD) के नाम से जाना जाता है।
(b) दिल्ली विधानसभा को संपूर्ण दिल्ली संघीय क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है।
(c) एंटी-करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के अधीन है।
(d) दिल्ली विधानसभा को केन्द्र सरकार की संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार हासिल है।

उत्तरः (a)

व्याख्याः संविधान के अनुच्छेद 239 क के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCTD) के नाम से जाना जाता है। दिल्ली विधानसभा को लोकव्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय में विधि बनाने की शक्ति नहीं है, जबकि वह राज्यसूची अथवा समवर्ती सूची में दिये गये विषयों पर विधि बना सकती है। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्रांच केन्द्र सरकार के अधीन है, न कि दिल्ली सरकार के अधीन। दिल्ली विधानसभा को केन्द्र सरकार की संपत्ति पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार केवल कथन (a) सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

6. राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सतपथी समिति ने न्यूनतम वेतन के लिए क्षेत्र, कौशल, पेशा (PESA) और ग्रामीण-शहरी स्थानों को आधार बनाया है।
2. सतपथी समिति ने सेक्टर, स्किल्स और स्थानों के आधार पर वेतन में अंतर को समाप्त न करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने के लिए बनाई गई सतपथी समिति ने अपनी सिफारिश में न्यूनतम वेतन को 375 रुपये प्रतिदिन करने का सुझाव दिया है। इस समिति ने न्यूनतम वेतन के लिए क्षेत्र, कौशल, पेशा और ग्रामीण-शहरी स्थानों को आधार नहीं बनाया है। इसके साथ ही समिति ने सेक्टर, स्किल्स और स्थानों के आधार पर वेतन में अंतर को भी समाप्त करने की सिफारिश की है। इस प्रकार दिए गए कथनों में दोनों कथन गलत हैं। ■

7. अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र

प्र. अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में नगरपालिका के ठोस कचरे में उच्च कैलोरी और कम नमी की मात्रा पाई जाती है।
2. भारत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के लिए आवश्यक है कि गीले और सूखे कचरे को मिश्रित किया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः विज्ञान व पर्यावरण केन्द्र के अनुसार भारत में नगरपालिका के ठोस कचरे में कम कैलोरी और उच्च नमी की मात्रा पायी जाती है। इस कारण अधिकांश अपशिष्टों में अत्यंत निष्क्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं जो संयंत्र में अपशिष्ट को पृथक करने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। भारत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के लिए आवश्यक है कि गीले और सूखे कचरे को मिश्रित न किया, ताकि केवल गैर-खाद योग्य और गैर-पुनः उपयोग योग्य अपशिष्ट डब्ल्यूआईई संयंत्रों तक पहुँच जाए। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं।■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है?

   -सुशील चंद्रा

2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ भारत के बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है?

   -फिनलैंड

3. हाल ही में दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला प्रोटोन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ आरंभ किया गया है?

   -चेन्नई

4. हाल ही में किस राज्य में गुर्जरों को 5% आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है?

   -राजस्थान

5. हाल ही में किस स्थान पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा हितधारकों के लिय 'आउटरीच' कार्यक्रम का आयोजन किया गया?

   -नई दिल्ली

6. हाल ही में किसे अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है?

   -अब्देल फतह अल सीसी

7. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 10 फरवरी 2019 को किस राज्य के सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया?

   -हिमाचल प्रदेश

सात महत्वपूर्ण सागर

1. अजोव सागर

- हाल ही में यूरोपीय संघ ने यूरोप में आने के लिए रूस के आठ नागरिकों को प्रतिबंधित कर दिया है। यूक्रेन और रूस में अजोव सागर को लेकर हाल ही में विवाद उत्पन्न हो गया था।
- अजोव सागर पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा-सा सागर है जो लगभग पूरी तरह जमीन से घिरा हुआ है।
- अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और पश्चिम में यूक्रेन का क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है।
- 2003 के एक समझौते के मुताबिक,रूस और यूक्रेन कर्च खाड़ी पर मौजूद समुद्र का साझा रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
- यहाँ मौजूद दो बंदरगाह बरदयान्सक और मारिउपोल खाद्य सामग्री, स्टील और कोयले के आयात और निर्यात के लिए अहम हैं।
- डॉन (Don) और कूबन (Kuban) वे दो बड़ी नदियाँ हैं जो इसमें आकर गिरती हैं।
- अजोव सागर की गहराई 0.9 और 14 मीटर के बीच है। अत: यह विश्व का सबसे छिछला सागर (shallowest sea) है।

2. दक्षिण चीन सागर

- दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है।
- इस सागर से इंडोनेशिया का करिमाता, मलक्का, फारमोसा जलडमरूमध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप जुड़ते हैं।
- दक्षिणी इलाका चीनी मुख्यभूमि को छूता है, तो दक्षिण-पूर्वी हिस्से पर ताइवान दावेदारी करता है।
- इस सागर के पूर्वी तट पर वियतनाम और कंबोडिया हैं। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बैंतुंग द्वीप हैं।
- यह प्रशांत महासागर का एक भाग है, जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 35 लाख वर्ग किमी. में फैला हुआ है।
- पाँच महासागरों के बाद यह विश्व के सबसे बड़े जलक्षेत्रों में से एक है। इस सागर में बहुत-से छोटे-छोटे द्वीप हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से द्वीपसमूह कहा जाता है।
- सागर और इसके द्वीपों पर विभिन्न देशों की दावेदारी है। इन दावेदारियों को इन देशों द्वारा इन द्वीपों के लिए प्रयुक्त होने वाले नामों में भी दिखाई देता है।
- सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सागर क्षेत्र में नौसैनिक गश्त करने वाले अमेरिका अकेला देश नहीं है।
- चीन, जापान समेत कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की नौसेनाएँ भी यहां गश्त करती रहती हैं, इस वजह से अकसर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ जाता है।
- चीन के अलावा ताइवान और वियतनाम 'स्पार्टलेज' द्वीपसमूह पर दावेदारी करते हैं। स्पार्टलेज, दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपसमूह है।
- यहाँ के 20 द्वीप वियतनाम के कब्जे में हैं, जबकि फिलीपींस के हिस्से में नौ हैं, इसके अलावा आठ द्वीपों पर चीन ने आधिपत्य जमा रखा है।
- इसके अलावा, पाँच द्वीप मलेशिया और एक द्वीप ताइवान के कब्जे में हैं।

3. काला सागर

- काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिण-पूर्वी यूरोप, कॉकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप (तुर्की) से घिरा है।
- काला सागर में डेन्यूब, नीपर, दक्षिणी बग, डेनिस्टर, डॉन और रियोनी नदियाँ गिरती हैं।
- यह दक्षिण में पोंटिक पर्वत, पूर्व में काकेशस पर्वत, उत्तर में क्रीमियन पर्वत, उत्तर पश्चिम में डोब्रोगिया पठार से घिरा है
- काला सागर, 436,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जलाशय है, जिसकी अधिकतम गहराई 2212 मीटर है। इसमें समाहित जल का आयतन लगभग 5,47,000 घन किमी. है।
- काला सागर पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर-पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है।

- इसके पूर्व में जॉर्जिया तथा कॉकेशस की पर्वतमालाएँ हैं जो इसे कैस्पियन सागर से अलग करती है। पूर्व से पश्चिम की इसकी सबसे अधिक लंबाई लगभग 1175 किमी. है।
- काला सागर के ऊपर रूसी सैन्य विमान एसयू-27 और अमेरिकी लड़ाकू विमान ईपी-3 असुरक्षित तरीके से एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए थे जिससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था।
- वर्तमान में काला सागर में रूस की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए अमेरिकी नौसेना ने भी यहां अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।
- 2014 से रूस ने इस क्षेत्र में अपने सुरक्षा बलों को मजबूत किया है। हालाँकि रूस के इस कदम का बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विरोध किया था।

4. अरल सागर

- अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है।
- अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है जिसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है, पर अब दिनोंदिन इसका आकार घटता जा रहा है।
- स्थानीय भाषाओं में इसका शाब्दिक अर्थ है 'द्वीपों की झील', जो इस झील में एक समय पर दिखने वाले लगभग 1500 टापुओं के आधार पर नामांकित थी।
- सन् 1960 में सोवियत प्रशासन ने इसमें विसर्जित होने वाली दो नदियों - आमू दरिया और सिर दरिया को मरुभूमि सिंचाई के लिए विमार्गित करने का निर्णय लिया, जिसके बाद से अरल सागर का क्षेत्रफल घटा और यह तीन अलग-अलग भागों में बँट गया।
- इसके फलस्वरूप पिछले 40 सालों में अरल सागर का 90 प्रतिशत जल खत्म हो गया तथा 74 प्रतिशत से अधिक सतह सिकुड़ गई और इसका आकार 1960 के आकार का सिर्फ 10 प्रतिशत ही रह गया है।
- इस सागर में पानी की लवणता में वृद्धि हो रही है जिससे मछलियों का जीवन खतरे में पड़ गया है।

5. कैस्पियन सागर

- कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने वृहत आकार के कारण सागर कहा जाता है।
- कैस्पियन सागर जमीन से घिरा दुनिया का सबसे बड़ा सागर है और दस वर्ष पहले तक ये ईरान और सोवियत संघ के बीच बँटा हुआ था। लेकिन अब इस सागर के पानी, तेल के बेशकीमती भंडार और भारी मांग वाली स्टर्जन मछलियों पर इसके तट पर बसे देश इस पर अपना दावा कर रहे हैं।
- अभी सिर्फ ईरान को ही स्टर्जन मछलियाँ पकड़ने की अनुमति है। ईरान एक ऐसा अकेला देश है जिसने मछलियाँ पकड़ने संबंधी दिशा-निर्देश लागू कर रखे हैं।
- तुर्कमेनिस्तान, कजाखस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान इसके तटवर्ती देश हैं।
- अजरबैजान कैस्पियन सागर में अधिक हिस्सा चाहता है। इसकी एक वजह ये भी है कि अमरीकी तेल कंपनी 'एक्सॉनमोबिल' ने उसके इलाके में तेल निकालने की एक बड़ी परियोजना से हाथ खींच लिए हैं।
- यूरोप और एशिया के बीच एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल जोन में स्थित, यह ऐतिहासिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और पारगमन गलियारा रहा है।
- महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों की खोज के बाद आधुनिक युग में कैस्पियन सागर और भी महत्वपूर्ण हो गया है, इसके संभावित भंडार में 50 अरब बैरल तेल और 9 ट्रिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस शामिल हैं।
- आज की तिथि में कैस्पियन सागर के चारों ओर के देश अपनी-अपनी तटरेखा के आस-पास उपलब्ध ऊर्जा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, परन्तु इस समुद्र के आंतरिक भागों तक वे पहुँच नहीं पाते हैं।

6. भूमध्य सागर

- भूमध्य सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य-पूर्व देशों के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किमी. है।
- प्राचीन काल में यूनान, अनातोलिया, कार्थेज, स्पेन, रोम, यरुशलम, अरब तथा मिस्र जैसे नगरों के बीच स्थित होने की वजह से इसे भूमध्य सागर (धरती के बीच का) कहते थे। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जलडमरूमध्य है।
- उत्तर-पूर्व की तरफ भूमध्य सागर पानी के छोटे रास्तों द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है, जबकि दक्षिण-पूर्व में ये स्वेज नहर (Suez Canal) के जरिए लाल सागर से जुड़ा हुआ है।
- भूमध्य सागर को दो भागों में बाँटा गया है- पूर्वी और पश्चिमी। सिसिली से ट्यूनीशिया तक की कल्पित रेखा को दोनों भागों में विभाजित रेखा माना गया है।
- भूमध्य सागर को आगे कई छोटे-छोटे सागरों में बाँटा गया है

यथा- अल्बोरान सागर, बेलिएरिक सागर, लिगुरियन सागर, टायर्रफेनियन सागर, एड्रियाटिक सागर और एजियन सागर।

- इस सागर की औसत गहराई लगभग 1500 मीटर के करीब है और इसकी सबसे ज्यादा गहराई अब तक 5267 मीटर तक मापी जा चुकी है।
- सागर में दो द्वीप ऐसे हैं, जो अपने आप में एक स्वतंत्र देश हैं। ये दोनों देश हैं- साइप्रस और माल्टा।
- भूमध्य सागर के पानी का तापमान काफी बदलता रहता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 10°C से 27°C के बीच ही रहता है।
- भूमध्य सागर के क्षेत्रों की जलवायु गर्म और ठंडी होती है। गर्मियाँ शुष्क होती हैं जबकि सर्दियों में बारिश पड़ती है।
- इस क्षेत्र की वनस्पतियाँ विशेष रूप से लंबी तथा गर्मियों के महीनों तक हरी-भरी रह सकती हैं।
- इस क्षेत्र की फसलों में जैतून, अंगूर, नारंगी, टेंजेरीयन और कॉर्क शामिल हैं।

7. पूर्वी चीन सागर

- पूर्वी चीन सागर पूर्वी एशिया के पूर्व में स्थित एक समुद्र है। यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल करीब 1249000 वर्ग किमी. है।
- हाल ही में चीन सागर के पूर्वी इलाके को चीन सरकार ने 'हवाई-रक्षा पहचान क्षेत्र' घोषित कर दिया था, जिसके अनुसार पूर्वी चीन सागर के इलाकों में उड़ने वाले सभी विमानों को चीन का आदेश मानना होगा।
- लेकिन इस घोषणा के साथ ही जापान और चीन के बीच विवाद भी गहरा गया था, क्योंकि पूर्वी चीन सागर में ही जापान के नियंत्रण वाला सेंकाकू द्वीप है, जिस पर चीन सरकार अपना दावा जताता रहा है। वह इस द्वीप को दियाओयु कहता है।
- इस सागर के पूर्व में जापान के नियंत्रण वाले क्यूशू (जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप) और युकयु द्वीप (बोलचाल में इसे नानसेई द्वीप भी कहा जाता है) हैं, दक्षिण में ताइवान देश, तो पश्चिम में चीन की मुख्य भूमि है।
- यह महासागर दक्षिण चीन सागर से ताइवान जलडमरुमध्य के माध्यम से, तो जापान सागर से कोरिया जलडमरुमध्य के माध्यम से जुड़ा है।
- इस सागर में कुछ जाने-माने द्वीप और चट्टान भी मौजूद हैं। मसलन, चीन के नियंत्रण वाला तोंग द्वीप, चीन और दक्षिण कोरिया के स्वामित्व को लेकर विवादित सोकोत्रा चट्टान, हुपीजियाओ चट्टान, याजियाओ चट्टान आदि इसी इलाके में आते हैं।
- चीन की सबसे लंबी नदी यांगटिसिक्यांग भी पूर्वी सागर में गिरती है।
- पूर्वी चीन सागर अपने समुद्री संसाधनों की वजह से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र को लेकर हमेशा से विवाद रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार चीन, जापान और दक्षिण कोरिया यहां के संसाधनों पर अपने-अपने दावे करते रहे हैं।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. ''भारत की जाति व्यवस्था में नई-नई अवधारणाएँ जुड़ती जा रही हैं'' इस परिप्रेक्ष्य में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता? टिप्पणी कीजिए।

2. आजादी के बाद से कृषि क्षेत्र में हुई क्रांतियों ने खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, वहीं जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को भूखे सोना पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है? समीक्षा कीजिए।

3. वर्तमान समय में यूरोपीय यूनियन को यूरोप के मरीज की संज्ञा दी जा रही है। समीक्षा कीजिए।

4. भारत में अंतर्राज्यीय जल परिवहन के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं की चर्चा करते हुए इसके समाधान के लिए आवश्यक उपाय सुझाएँ।

5. जस्टिस वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मूल कर्त्तव्य बाध्यता एवं न्यायिक प्रवर्तनीयता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज बनकर रह गया है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

6. भारत में प्राचीन मंदिर स्थापत्य शैलियों, नागर, द्रविड़ तथा बेसर में मूलभूत अंतर का विश्लेषण कीजिए, इसने भारतीय संस्कृति को किस हद तक प्रभावित किया है? टिप्पणी कीजिए।

7. हाल ही में शुरू की गई केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना 'तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना' के प्रमुख तत्त्वों पर प्रकाश डालिए।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR -
635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009, Ph: 011-47354625/26, (691)-9205274741/42

RAJENDRA NAGAR -
25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Delhi Ph: (+91)-9205274745/43

LAXMI NAGAR -
1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 Ph: 011-43012556, (+91)- 9311969232

ALLAHABAD -
2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar patel marg, Civil Lines, Allahabad UP- 211001 Ph: 0532-2260189, +91-8853467068

LUCKNOW -
A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow UP-226024 Ph: 0522-4025825, +91-9506256789

GREATER NOIDA -
Plot No. 28/1A Knowledge Park III, Greater Noida, UP- 201306, Ph: +91-9205336037/38

BHUBANESWAR, ODISHA -
Oeu Tower, Third Floor KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha - 751024, Ph: +91- 9818244644, 7656949029

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR -Patna- 9334100961, CHANDIGARH -8146199399, DELHI & NCR - Faridabad - 9711394350, 01294054621, HARYANA Kurukshetra- 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR -9050888338, MADHYA PRADESH -Gwalior- 9098219190, JABALPUR -8982082023, 8982082030, REWA- 9926207755, 7662408099, PUNJAB -Patiala- 9041030070, RAJASTHAN -Jodhpur- 9928965998, UTRAKHAND -Haldwani- 7060172525, UTTAR PRADESH -Bahraich- 7275758422, Bareilly- 9917500098, Gorakhpur- 7080847474, 7704884118, Kanpur- 7275613962, LUCKNOW (Alambagh)- 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (Gomti Nagar)- 7570009003, 7570009005, MORADABAD- 9927622221, VARANASI - 7408098888,

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 50

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400